विधानसभा सामान्य निर्वाचन–2022

प्रशिक्षण–मॉडयूल

(मतदान–प्रक्रिया)

मतदान का दिनांक– 07 मार्च 2022

जनपद–भदोही।

पोलिंग पार्टियों का गठन एवं दायित्व

पोलिंग पार्टियों का गठन:– प्रत्येक मतदान टोली में निम्नानुसार कार्मिक नियुक्त हैं :–

1– पीठासीन अधिकारी।

2– प्रथम मतदान अधिकारी।

3– द्वितीय मतदान अधिकारी।

4– तृतीय मतदान अधिकारी।

नोट :– **EVM** एवं **VVPAT** के संचालन की जानकारी **PO, P1, P2, P3** को आना अनिवार्य है।

पीठासीन अधिकारीः–

1– मतदेय स्थल का प्रभारी होता है।

2– मा0 निर्वाचन आयोग के निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करते/कराते हुए अपने बूथ पर निर्विध्न, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से मतदान सम्पन्न कराने के लिए उत्तरदायी होता है।

3– मतदान सामग्री एवं ई.वी.एम. प्राप्त करना तथा चेक लिस्ट के अनुसार चेक करना।

4– समय से मॉकपोल व मतदान प्रारम्भ कराना।

5– चैलेन्ज वोट, टेण्डर वोट, टेस्ट वोट, आशक्त, दिव्यांगजन के व्दारा साथी की मॉग तथा विभिन्न प्रकार की स्थिति आने पर मा0 आयोग के निर्देशानुसार कार्यवाही करना।

6– अपेक्षित अभिलेखों के साथ–साथ मॉक–पोल प्रमाण–पत्र प्रारूप–1, बैटरी बदलने पर प्रारूप–2 तथा मतदान समाप्त होने पर **Close Button** दबाने का प्रमाण–पत्र प्रारूप–3 पर तैयार करना।

7– निर्धारित व्यवस्था के अनुसार मतदान समाप्ति के उपरान्त निर्वाचन सामग्रियों को सील्ड करना एवं काउण्टर पर जमा कराना।

प्रथम मतदान अधिकारी:–

1– निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति का प्रभारी।

2– मतदाता की पहचान ईपिक या फोटोयुक्त 11 विकल्पों में से किसी एक विकल्प से करना।

3– मतदाता सूची में मतदाता को चिन्हित करना।

नोट :– आवश्यकतानुसार पीठासीन अधिकारी के दायित्वों के निर्वहन हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी। अतः निर्वाचन प्रक्रिया की पूरी जानकारी अनिवार्य है।

द्वितीय मतदान अधिकारी:–

1– मतदाता की बाई हॉथ की तर्जनी पर अमिट स्याही लगाना।

2– मतदाता रजिस्टर 17 क का प्रभारी।

3– मतदाता को मत देने हेतु मतदाता पर्ची जारी करना।

तृतीय मतदान अधिकारीः–

1– मतदाता से मतदाता पर्ची को लेकर क्रमबद्ध तरीके से रखना।

2– मतदाता के बाये हॉथ की तर्जनी पर अमिट स्याही को चेक करना कि लगा है या नहीं? यदि नहीं तो पुनः लगाना।

3– कन्ट्रोल यूनिट का प्रभारी। कन्ट्रोल यूनिट का बैलेट बटन दबाकर मतदाता को मत देने हेतु वोटिंग कम्पार्टमेंट में जाने की अनुमति देना।

प्रथम चरणः— पोलिंग पार्टियों के रवानगी के 01 दिन पूर्वः—

1— मतदान पार्टी की रवानगी के एक दिन पूर्व अपनी आवश्यक सामग्री— मौसम के अनुरूप कपड़ा, दवा, खाद्य्य सामग्री, टार्च इत्यादि व्यवस्थित कर बैग तैयार कर लें।

2— द्वितीय ड्यूटी पत्र, निर्वाचन ड्यूटी परिचय—पत्र तथा उसे लगाने के लिए शेफ्टी पीन रख लें।

3— अपना मोबाइल तथा उसका चार्जर अनिवार्य रूप से रख लें।

4— पीठासीन अधिकारी की हस्तपुस्तिका एवं मतदान प्रक्रिया संबंधित उपलब्ध कराये गये शार्टनोट की प्रति रख लें।

द्वितीय चरणः– पोलिंग पार्टियों के रवानगी दिवस परः–

1– पोलिंग पार्टियॉ दिनांक 06.03.2022 को कलेक्ट्रेट सरपतहा से रवाना होगी। अतः अनिवार्य रूप से प्रातः 7:00 बजे तक कलेक्ट्रेट सरपतहा पहुंचना।

2– कोविड–19 नियमों का पालन करना।

3– डिसप्ले के माध्यम से अपने मतदेय स्थल से संबंधित अपेक्षित जानकारी देख कर नोट कर लें, जैसे– विधानसभा में मतदेय स्थल का नाम व नम्बर वाहन संख्या, सेक्टर मजिस्ट्रेट का नाम व मोबाइल नम्बर।

4– निर्धारित काउण्टर से बूथ की ड्यूटी संबंधित आदेश प्राप्त करें।

5– आपकी पोलिंग पार्टी/बूथ के लिए निर्धारित वाहन किस स्थल पर खड़ा है, उसे भी देख लें।

6– आपके विधानसभा के मतदेय स्थल की सामग्री किस काउण्टर से मिलेगी उस काउण्टर को देखते हुये अपने पार्टी के अन्य सदस्यों से मिलकर अपने लिए एक स्थान निर्धारित कर लें।

7– पीठासीन, प्रथम मतदान अधिकारी काउण्टर पर जाकर सर्वप्रथम पीठासीन अधिकारी अपना नियुक्ति पत्र प्रस्तुत कर मतदेय स्थल से संबंधित समस्त अपेक्षित सामग्री प्राप्त करें।

8— ई0वी0एम0 एवं मतदान सामग्री को चेक करना :—

(क)— चेकमेमो (चेक लिस्ट) के अनुसार सामग्रियों का मिलान करें।

(ख)— विशेष ध्यानः—(1)—बैलेट यूनिट, कन्ट्रोल यूनिट एवं वीवीपैट को कनेक्शन करके संचालन/टेस्ट कदापि न करें।

कब करें:— मतदान दिवस पर मॉकपोल के समय ही तीनों मशीन का कनेक्शन करके टेस्ट/संचालन करना है। इसके पूर्व सामग्री प्राप्त करते समय बूथ पर पहुॅचने पर किसी भी दशा में कनेक्शन करके तीनों मशीन का टेस्ट/संचालन नहीं करें।

(ग)– बैलेट यूनिट चेक करें :–

A– कैरीकेस से बी0यू0 को बाहर निकालकर बी0यू0 पर लगे एड्रेस टैग के माध्यम से चेक करें कि उक्त यूनिट आपके बूथ से ही संबंधित है। एड्रेस टैग पर अंकित बी0यू0 का यूनिक आईडी नंबर मशीन पर अंकित नंबर से मेल खा रहा है।

B– चेक करें कि निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची 7क के अनुसार ही मतपत्र के स्क्रीन पर मतपत्र उचित ढंग से पंक्तिबद्ध हो तथा अभ्यर्थी का नाम, प्रतीक चिन्ह, उसके लैम्प तथा बटन की पंक्ति में हो।

C– ऊपरी भाग में दाहिनी ओर थमविल स्वीच विन्ड़ों होता है, देख लें कि यदि एक बी0यू0 का प्रयोग हो रहा है तो 01 अंक प्रदर्शित है यदि दो बी0यू0 का प्रयोग हो रहा है तो पहले पर 01 तथा दूसरे पर 02 अंक ही प्रदर्शित हो रहा है। इसी प्रकार जितने बी0यू0 का प्रयोग हो चेक करें।

D– बैलेट यूनिट का ऊपरी और निचला भाग(दाहिनी साइड) एड्रेस टैग के माध्यम से आर0ओ0 द्वारा सील्ड है और अंतिम उम्मीदवार नोटा के नीचे पिंक पेपरसील लगा है, को चेक करे। पिंक पेपर सील एवं एड्रेस टैग के साथ छेड़छाड़ न करें।

E– जितने उम्मीदवार(नोटा सहित) निर्वाचन लड़ रहे है, उतने ही उम्मीदवार का नीला बटन दिखाई दें, शेष मास्क यानी सफेद रंग का होना चाहिए।

F– उक्तानुसार चेक करके बैलेट यूनिट को कैरीकेस में ठीक ढंग से रख दें।

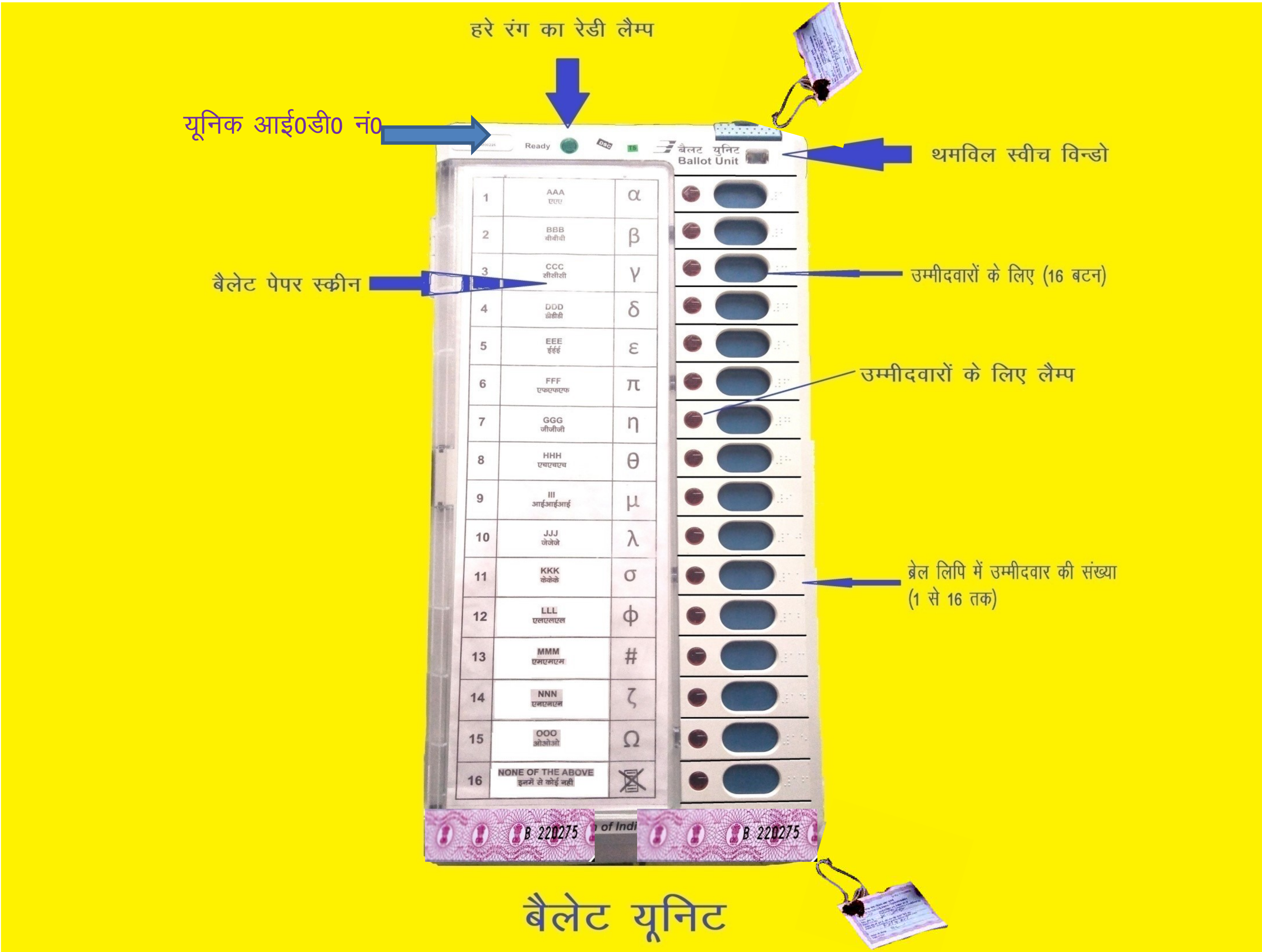

हरे रंग का रेडी लैम्प
यूनिक आई0डी0 नं0
थमविल स्वीच विन्डो
Ready
बैलट यूनिट
Ballot Unit
बैलेट पेपर स्क्रीन
उम्मीदवारों के लिए (16 बटन)
उम्मीदवारों के लिए लैम्प
ब्रेल लिपि में उम्मीदवार की संख्या (1 से 16 तक)
1 AAA एएए α
2 BBB बीबीबी β
3 CCC सीसीसी γ
4 DDD डीडीडी δ
5 EEE ईईई ε
6 FFF एफएफएफ π
7 GGG जीजीजी η
8 HHH एचएचएच θ
9 III आईआईआई μ
10 JJJ जेजेजे λ
11 KKK केकेके σ
12 LLL एलएलएल φ
13 MMM एमएमएम #
14 NNN एनएनएन ζ
15 OOO ओओओ Ω
16 NONE OF THE ABOVE इनमें से कोई नहीं
B 220275
B 220275
बैलेट यूनिट

(घ)– कन्ट्रोल यूनिट चेक करें :–

A– कैरीकेस से कन्ट्रोल यूनिट को बाहर निकालकर कन्ट्रोल यूनिट पर लगे एड्रेस टैग के माध्यम से चेक करें कि उक्त यूनिट आपके बूथ से संबंधित है। एड्रेस टैग पर अंकित सी0यू0 का यूनिक आईडी नंबर मशीन पर अंकित नंबर से मेल खा रहा है।

B– कन्डीडेट सेक्शन एवं बैटरी सेक्शन आर0ओ0 व्दारा एड्रेस टैग से सील्ड होता है, इसे देख लें परन्तु इसके साथ छेड़छाड़ कदापि न करें। पिंक पेपरसील ठीक ढंग से लगा है, इसे चेक कर लें।

C– कन्ट्रोल यूनिट के पावर स्वीच को ऑन करके दिनांक व समय, कन्डीडेट की संख्या, सी0यू0 के वैटरी का स्टेटस चेक करके तुरंत पावर स्वीच ऑफ कर उसे कैरीकेस के अंदर रख दें।

कन्ट्रोल यूनिट

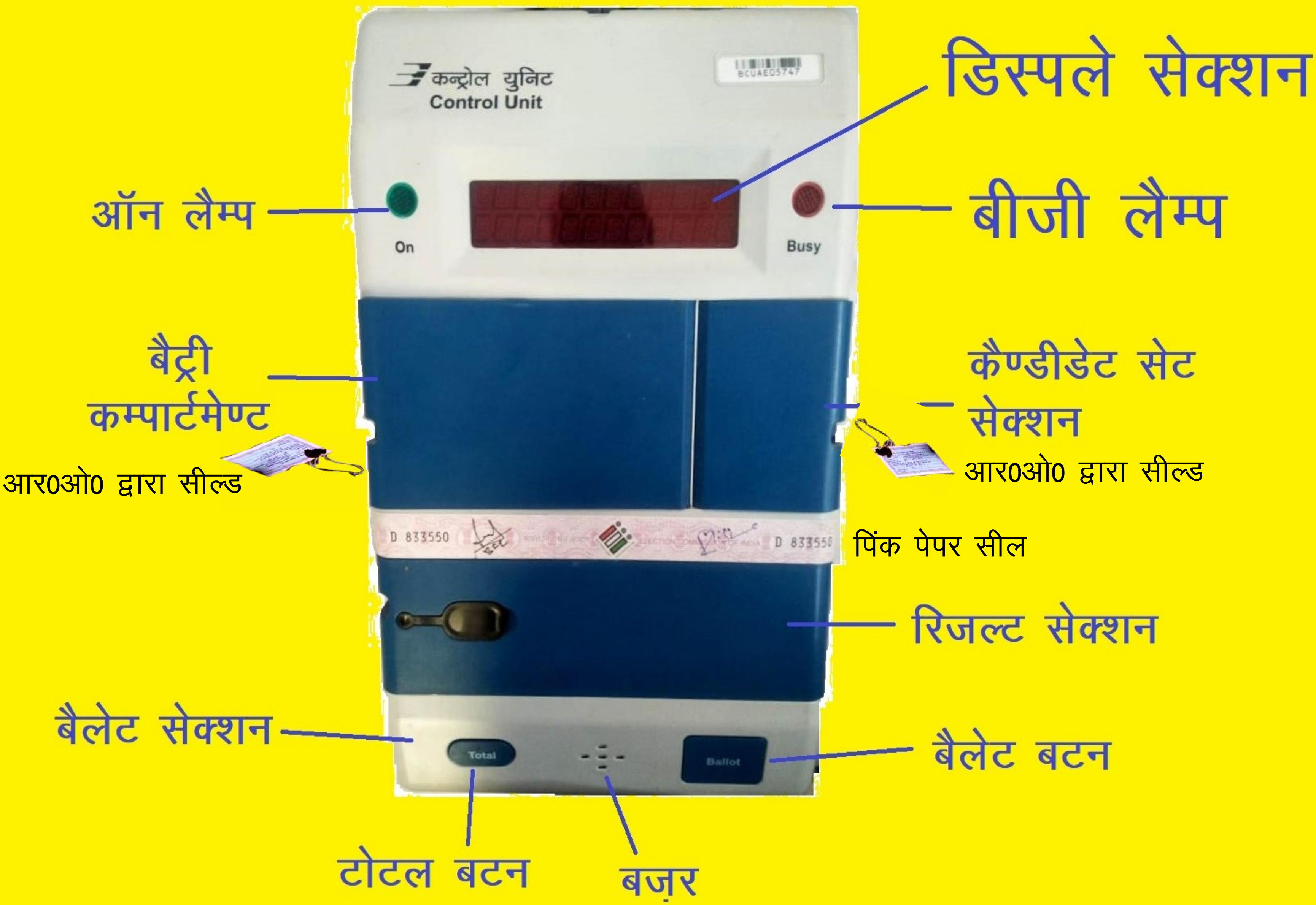
कन्ट्रोल युनिट
Control Unit
डिसप्ले सेक्शन
ऑन लैम्प
On
Busy
बीजी लैम्प
बैट्री कम्पार्टमेण्ट
कैण्डीडेट सेट सेक्शन
आर0ओ0 द्वारा सील्ड
आर0ओ0 द्वारा सील्ड
D 833550
D 833550
पिंक पेपर सील
रिजल्ट सेक्शन
बैलेट सेक्शन
Total
Ballot
बैलेट बटन
टोटल बटन
बज़र

(ड.)– वीवीपैट चेक करें :–

A– वीवीपैट को किसी भी दशा में कैरीकेस से बाहर नहीं निकालना है। कैरीकैस पर लगे एड्रेस टैग से चेक करें कि यह आपके बूथ से ही संबंधित है।

विशेष ध्यान:– वीवीपैट के कैरीकेस को पटकना नहीं है, आराम से उठाना और आराम से रखना है। कैरीकेस के उपर बैठना भी नहीं है। उल्टा–सीधा कैरीकैस को नहीं करना है। धूप–धूल ,तेज रोशनी से बचाना भी है।

B– वीवीपैट से संबंधित अपेक्षित सामग्री यथा– पृथक से एक बैटरी, मॉकपोल की मुॅहर, 49 एम.ए. फार्म, काले रंग का लिफाफा, प्लास्टिक बाक्स, पिंक पेपर सील इत्यादि चेक कर लें।

(च) – <u>मतदाता सूची निम्नानुसार चेक करें :–</u>

A– एकीकृत मूल मतदाता सूची **(Integrated Mother Roll)** के साथ अनुपूरक सूची लगी होती है।

B– मतदाता सूची की तीनों प्रतियां आपके बूथ से संबंधित है तथा सभी में प्रविष्टियां एक समान है, इसे अनिवार्य रूप से चेक कर लिया जाए।

C – मतदाता सूची के अंत में अनुपूरक सूची सहित विवरण सम्मिलित करते हुए पुरूष, महिला मतदाताओं की वास्तविक संख्या के विवरण का चार्ट लगा होगा, उसे भी चेक कर लें।

D– परिवर्धन का आशय– मतदाता सूची में जिनका नाम जोड़ा गया हो।

E – विलोपन/अपमार्जन का आशय– जिनका नाम मूल मतदाता सूची से काटा गया हो।

E – संशोधन –जिनके नाम, उम्र, पता इत्यादि में संशोधन किया गया हो। नाम शुद्धि के लिए संकेतांक **#** का प्रयोग किया जाता है।

F – ए0एस0डी0 वोटरों की पृथक से सूची।

G – वर्णमाला क्रम में मतदाताओं की सूची (एल्फावेट लोकेटर)।

H – वर्गीकृत सेवानियोजित के प्राक्सी मतदाताओं की सूची।

विशेष ध्यान दें:– जिसका नाम कटा होगा मूल मतदाता सूची में **Delete** लिखा होगा और जिसको पोस्टल बैलेट जारी हुआ होगा, उस मतदाता के बाक्स में पी0वी0 लिखा होगा। उक्त दोनों श्रेणी के मतदाता अपना वोट आपके बूथ पर नहीं डालेंगे।

(छ)– ग्रीन पेपरसील, स्पेशल टैग, एड्रेस टैग का सीरियल नंबर चेक कर लें यदि कोई क्षतिग्रस्त हो तो उसे काउण्टर से बदल ले।

(ज)– मॉकपोल प्रमाण–पत्र प्रारूप 1, अपरिहार्य परिस्थितियों में बैटरी बदलने संबंधित प्रारूप–2, मतदान समाप्त होने के बाद क्लोज बटन दबाने का प्रारूप–3 अनिवार्य रूप से चेक कर लें।

(झ)– टेण्डर वोट के लिए 20 मतपत्र। प्रत्याशी/निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर का नमूना, पी0एस0 05, 16 व 19 बिन्दुओं की सूचना का प्रारूप तथा ब्रेल लिपि से मतदान करने की सूचना का प्रारूप एवं दिव्यांग मतददाता के लिए मतपत्र नमूना चेक कर लें।

(ट)– अमिट स्याही अनिवार्य रूप से चेक कर लें और देख लें कि शीशी के अंदर वास्तव में स्याही है या नहीं? यदि नहीं तो काउण्टर से जाकर प्राप्त कर लें।

(ठ)– मतदाता रजिस्टर 17क, मतदाता पर्ची, मतपत्रलेखा–17ग, पीठासीन अधिकारी की डायरी, घोषणा पत्र, ब्रास सील चेक कर लें।

(ढ)– विशेष ध्यान–चेक लिस्ट में वर्णित सामग्रियों की सूची से मिलान करनेपर जो भी कमी हो संबंधित काउण्टर पर जाकर निर्धारित मात्रा में सामग्री प्राप्त करें।

(ण)– सामग्रियों का मिलान करने के बाद सेक्टर मजि0 की अनुमति से पूरी मतदान टोली सामग्री के साथ निर्धारित वाहन से बूथ के लिए प्रस्थान करें।

तृतीय चरणः– मतदेय स्थल पर पहुँचने परः–

1– मतदेय स्थल के आन्तरिक एवं बाहरी भाग का निरीक्षण करें।

2– वोटिंग कम्पार्टमेन्ट खिड़की या दरवाजे के पास नहीं होना चाहिए। वोटिंग कम्पार्टमेन्ट ऐसे स्थान पर हो जहॉ पर पर्याप्त रोशनी तथा मतदाता अपने पसंद के उम्मीदवार के चिन्ह एवं बटन को आसानी से देख सके। ध्यान रखें कि वीवीपैट के स्क्रीन पर सीधा सूर्य की रोशनी या बल्ब की रोशनी नहीं पड़नी चाहिए।

3– यदि वेवकैमरा हो तो उसका मुॅह वोटिंग कम्पार्टमेंट की ओर नहीं होना चाहिए।

4– मतदेय स्थल के अंदर या 200 मीटर तक किसी पार्टी का पोस्टर, वैनर, प्रचार सामग्री या मतदेय स्थल में किसी का फोटो या प्रतीक चिन्ह नहीं होना चाहिए।

5– कुर्सी, मेज, पोलिंग पार्टियों एवं एजेण्ट के बैठने का स्थान सुनिश्चित कर लिया जाएं।

6– मतदाताओं के प्रवेश व निकासी का रास्ता चेककर विवरण लगा दें।

7– पुनः एक बार मतदान सामग्री को चेक कर लें यदि कोई सामग्री कम हो तो सेक्टर मजि0 के आने पर उन्हें बता करके प्राप्त कर लें।

8– सेक्टर मजि0 के आने पर पुनः मोबाइल नंबर नोट कर लें।

9– ई0वी0एम0 एवं वीवीपैट का संचालन/टेस्ट न करें। यानी कैरीकेस से बाहर न निकाले।

10– विभिन्न प्रकार के प्रपत्रों एवं लिफाफों पर पूर्व से भरे जाने वाले विवरण को भरकर तैयार कर लें।

11– मतदेय स्थल पर ही निवास करें, किसी का भी आतिथ्य स्वीकार न करें।

12– ई0वी0एम0 एवं मतदान सामग्री पर सतर्क दृष्टि रखें।

चतुर्थ चरणः—मतदान दिवस 07.03.2022 को वास्तविक मतदान शुरू होने के पूर्व की कार्यवाहीः—

1—मतदेय स्थल पर निम्न सूचनाओं का प्रदर्शन/चस्पा करना सुनिश्चित करें :—

(I)— प्रारूप— 7क पर निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची।

(II)— मतदाता सूची की एक प्रति।

(III)— मतदाता की पहचान हेतु बैध पहचान—पत्र एवं मतदान कैसे करें।

(IV)— क्या करें क्या न करें, संबंधी पोस्टर।

(V)— बूथ की विशिष्टियॉ नंबर एवं नाम, पीठासीन अधिकारी, बूथ लेबल आफिसर, रिटर्निंग आफिसर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी एवं मा0 प्रेक्षक का नाम व मोबाइल नंबर का पोस्टर।

2– (1) **मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति :–**

(A)– प्रत्याशी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता अपने हस्ताक्षर से प्रत्येक मतदेय स्थल के लिए एक मतदान अभिकर्ता तथा 02 अवमुक्ति अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है।

(B)– मतदान बूथ में एक समय में एक ही व्यक्ति (मतदान अभिकर्ता) उपस्थित रहेंगा।

(C)– मतदान अभिकर्ता को अपना मतदाता फोटो परिचय–पत्र मतदान के दिन लगाना अनिवार्य है।

(D)–मतदान अभिकर्ता/ निर्वाचन अभिकर्ता सेल्युलर फोन, कार्डलेस, वायरलेस और मोबाइल लेकर मतदेय स्थल के भीतर प्रवेश नहीं करेंगे।

(2)—<u>पीठासीन अधिकारी एजेण्ट के नियुक्ति –पत्र को चेक करें:–</u>

(I)– प्रारूप–10 पर नियुक्ति पत्र के साथ मतदान अभिकर्ता बूथ पर उपस्थित होगा।

(II)– स्टेशनरी प्राप्त करते समय पीठासीन अधिकारी को उम्मीदवार या उसके व्दारा नियुक्त निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर का नमूना उपलब्ध कराया जायेगा कृपया हस्ताक्षर का मिलान करके नियुक्ति पत्र की सत्यता की जांच कर लें।

(III)– मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति प्रारूप–10 पर होती है। जिसके दो भाग होते है।

(IV)– प्रथम भाग उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता व्दारा भरा जाता है जिसमें मतदान केन्द्र की संख्या व नाम, मतदान अभिकर्ता का नाम तथा नियुक्तिकर्ता के हस्ताक्षर होते है।

(V)– द्वितीय भाग घोषणा से संबंधित होता है उस घोषणा पर नियुक्त मतदान अभिकर्ता को पीठासीन अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षर करना होता है अतः हस्ताक्षर अपने समक्ष कराकर नियुक्ति पत्र रख लें। इन्ट्री पास जारी करें।

(3) मतदान अभिकर्ता का इण्ट्री पास

विधानसभा का नंबर व नाम :—

पोलिंग स्टेशन का नंबर व नाम :—

पोलिंग एजेण्ट का नामः—

अवमुक्ति रिलीवर मतदान अभिकर्ता यदि कोई है तो नामः—

पीठासीन अधि0 का हस्ताक्षर

(4)– मतदान अभिकर्ता को जारी पास का एक विवरण पीठासीन अधिकारी को नीचे दिये प्रारूप पर तैयार करना होगाः–

(I)– विधानसभा का नंबर व नाम–

(II)– मतदान केन्द्र की संख्या व नामः–

(III)– निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्याः–

(IV)– प्राप्त इन्ट्री पासों की संख्याः–

(V)– मतदान अभिकर्ताओं को जारी किये गये इन्ट्री पासों की कुल संख्याः–

(VI)– अप्रयुक्त इन्ट्री पास की संख्याः–

उम्मीदवार का नाम	क्या इन्टी पास जारी हुआ।	एजेण्ट /रिलीवर के हस्ताक्षर
1	2	3

पीठासीन के हस्ताक्षर

(5) पोलिंग एजेण्टस / रिलिविंग एजेण्टस का भ्रमण प्रपत्र
(Polling Agents/Relieving AgentsMovement Sheet)

विधानसभा क्षेत्र की संख्या/नाम............ मतदेय स्थल की संख्या......नाम...............

क्र0 सं0	विधान सभा क्षेत्र की संख्या/ नाम	प्रत्याशी का नाम	राजनैतिक दल का नाम	पोलिंग एजेण्ट / रिलिविंग एजेण्ट का नाम	प्रवेश का समय	हस्ताक्षर	निकास का समय	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	9

पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर

(6)– मतदान अभिकर्ता के बैठने का स्थान एवं क्रमः–

(I)– मतदान अभिकर्ताओं को ऐसे ढंग से बिठाया जाना चाहिए कि वे किसी निर्वाचक का चेहरा, जब कभी भी वह मतदान केन्द्र में प्रवेश करें, देख सके और प्रथम मतदान अधिकारी के द्वारा पहचान के दौरान आवश्यकता पड़ने पर निर्वाचक की पहचान को चुनौती दी जा सकें।

(II)– मतदान अभिकर्ताओं को मतदान केन्द्र पर निम्न क्रम से बैठाने की व्यवस्था मा0 आयोग व्दारा निर्धारित की गई है:–

1– मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों के अभ्यर्थी ।

2– मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दल।

3– अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दलों के वह अभ्यर्थी, जिन्हें अपने आरक्षित प्रतीकों को इस निर्वाचन क्षेत्र में प्रयुक्त करने की अनुमति दी गई है।

4– रजिस्टीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों के अभ्यर्थी

5– निर्दलीय अभ्यर्थी।

ई0वी0एम0 के संबंध में की जाने वाली कार्यवाही:–

ई0वी0एम0 के भाग:–

1– कन्ट्रोल यूनिट **(CONTROL UNIT)**

2– बैलेट यूनिट **(BALLOT UNIT)**

3– वीवीपैट **(VOTER VERIFIABLE PAPER AUDIT TRAIL)**

कन्ट्रोल यूनिट (Control Unit):–

इस यूनिट में मतदाता द्वारा दिये गये मतों का प्रत्याशीवार विवरण सुरक्षित होता है और इसके माध्यम से ही बी0यू0,वीवीपैट कार्य करता है। यूनिट के 05 भाग होते हैं:–

1– डिस्प्ले खण्ड **(Display Section)**

2– उम्मीदवार सैट खण्ड **(Candidate Set Section)**

3– रिजल्ट खण्ड **(Result Section)**

4– बैलॉट खण्ड **(Ballot Section)**

5– पॉवर स्वीच खण्ड **(Power Section)**

कन्ट्रोल यूनिट

कन्ट्रोल युनिट
Control Unit
डिस्पले सेक्शन
ऑन लैम्प
On
Busy
बीजी लैम्प
बैट्री कम्पार्टमेण्ट
कैण्डीडेट सेट सेक्शन
आर0ओ0 द्वारा सील्ड
आर0ओ0 द्वारा सील्ड
D 833550
D 833550
पिंक पेपर सील
रिजल्ट सेक्शन
बैलेट सेक्शन
Total
Ballot
बैलेट बटन
टोटल बटन
बज़र

विशेषः— कन्ट्रोल यूनिट के बटनों को दबाने का सही क्रम...

C-R-C (CLOSE---RESULT----CLEAR)

उक्त क्रम का उल्लघंन करने पर सी0यू0 के डिस्प्ले बोर्ड **पर INVALID** सूचित करेंगा जिसका आशय है कि सही क्रम में बटन नहीं दबाया गया है अर्थात **C-R-C** का पालन नहीं किया गया है। तुरंत **C-R-C** करें। मॉकपोल कराने के बाद अनिवार्य रूप से **C-R-C** करें।

बैलेट यूनिट(बी0यू0)–

यह ई0वी0एम0 का वह यूनिट है जिसमें मतदाता अपने पसंद के उम्मीदवार का नीला बटन दबाकर अपना मत अंकित करता है। बी0यू0 के भाग/ बनावटः–

1– एक दूसरे को जोड़ने वाली केबिल।

2– रेडी लैम्प।

3– थमविल स्वीच।

4– मतपत्र पेपर–स्क्रीन।

5– सोलह उम्मीदवारों के लिए लैम्प।

6– सोलह उम्मीदवारों के लिए बटन।

7– पीछे साइड में एक से अधिक बी0यू0 जोड़ने हेतु कनेक्टर।

8– पीछे साइड में बी0यू0 में पॉवर पैक/बैट्री लगाने हेतु स्थान।

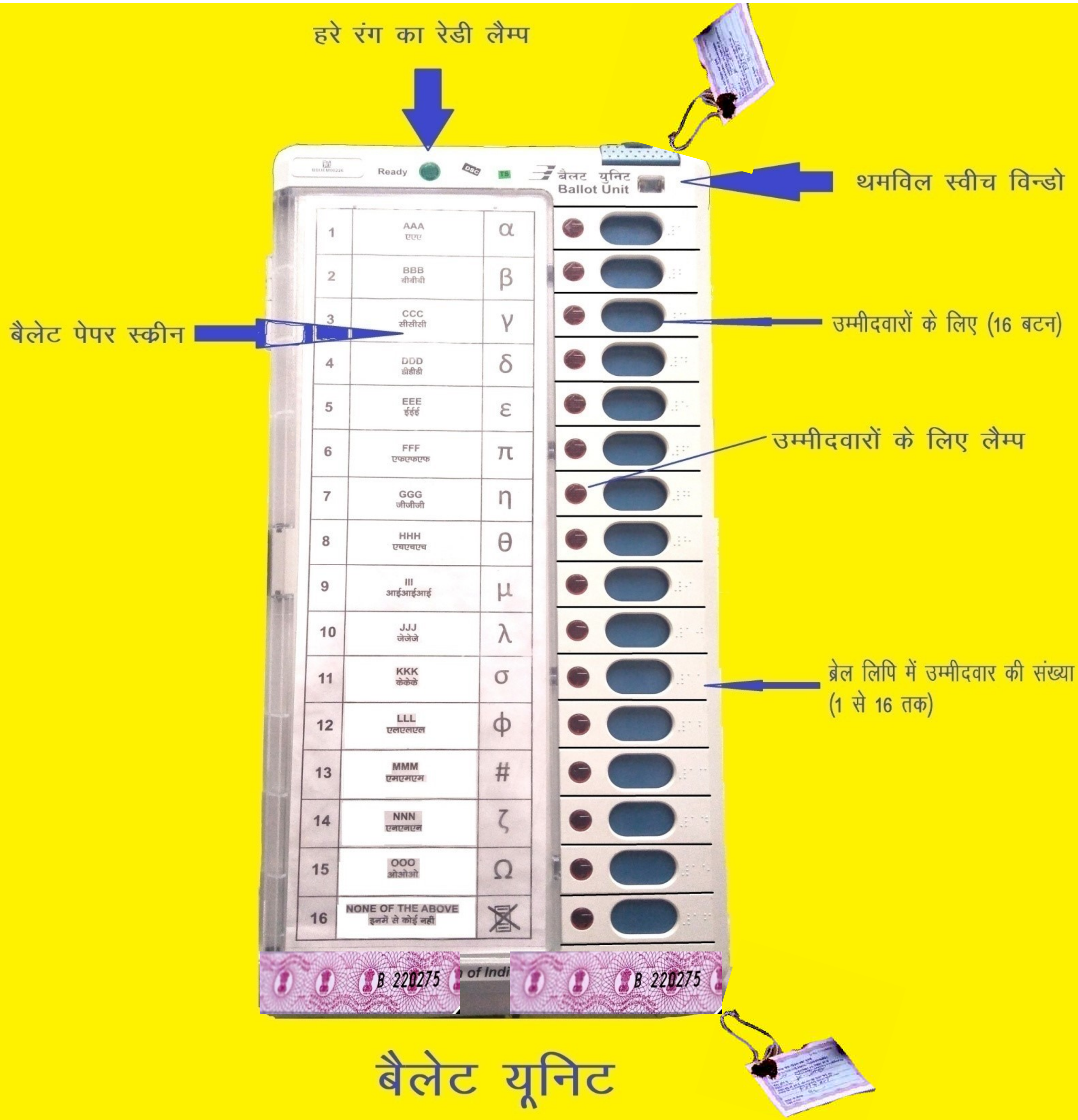
हरे रंग का रेडी लैम्प
Ready
बैलट यूनिट
Ballot Unit
थमविल स्वीच विन्डो
बैलेट पेपर स्क्रीन
उम्मीदवारों के लिए (16 बटन)
उम्मीदवारों के लिए लैम्प
ब्रेल लिपि में उम्मीदवार की संख्या (1 से 16 तक)
1 AAA एएए
2 BBB बीबीबी
3 CCC सीसीसी
4 DDD डीडीडी
5 EEE ईईई
6 FFF एफएफएफ
7 GGG जीजीजी
8 HHH एचएचएच
9 III आईआईआई
10 JJJ जेजेजे
11 KKK केकेके
12 LLL एलएलएल
13 MMM एमएमएम
14 NNN एनएनएन
15 OOO ओओओ
16 NONE OF THE ABOVE इनमें से कोई नहीं
B 220275
B 220275

बैलेट यूनिट

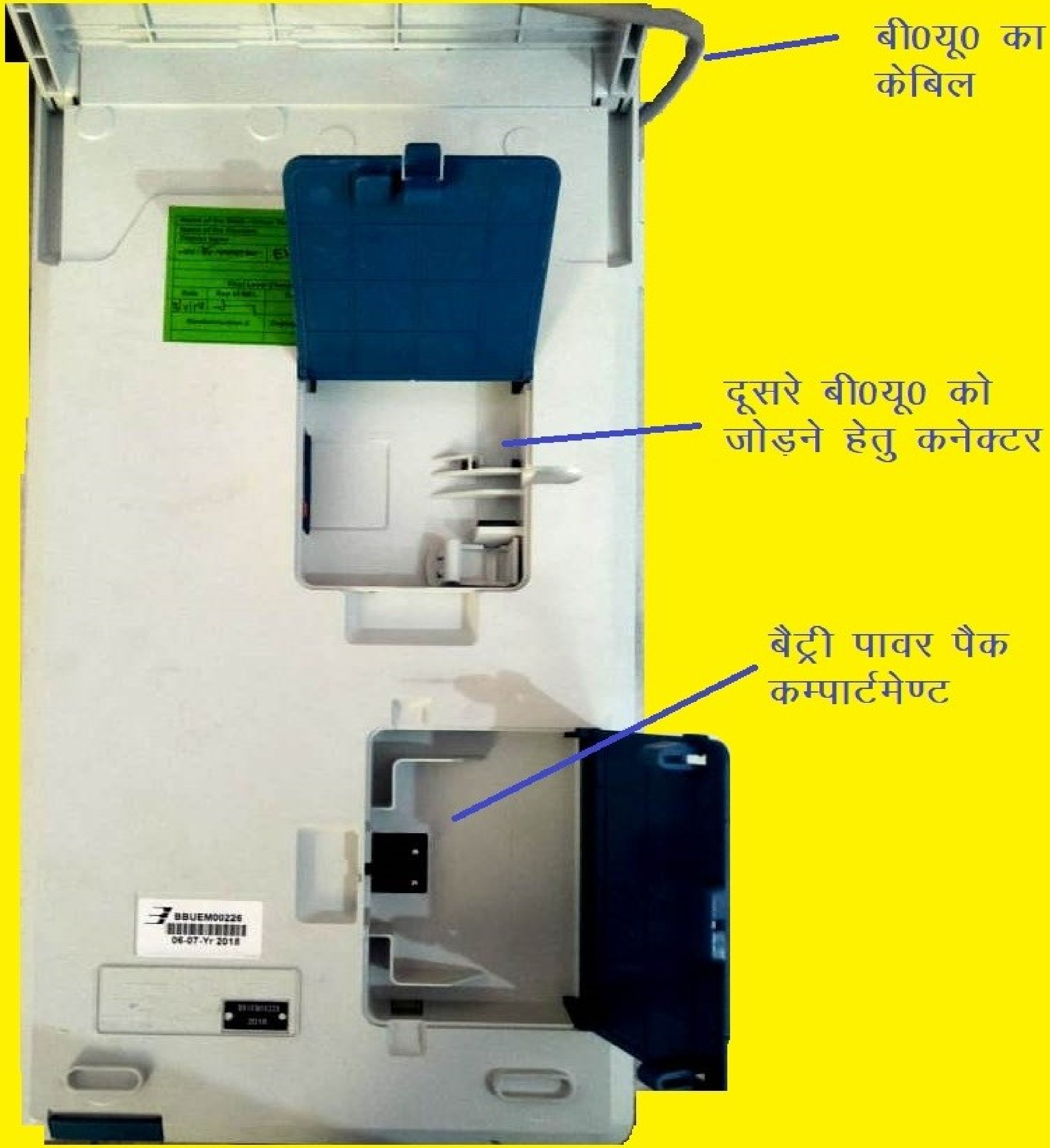

बैलेट यूनिट के पीछे का भाग

VVPAT(Voter Verifiable Paper Audit Trail) के भाग

1– पेपर रोल कम्पार्टमेण्ट आर0ओ0 द्वारा सील्ड होता है।

2– वीवीपैट की स्क्रीन–उम्मीदवार की पर्ची इसी पर छपती है।

3– ड्रॉप बाक्स–उम्मीदवार की पर्ची कटकर इसी बाक्स में गिरती है।

4– पेपर रोल ब्लैक नोब– मॉकपोल एवं मतदान के समय पीठासीन अधिकारी को होरिजेन्टल (बेड़े) से घुमाकर वर्टीकल (खड़े) स्थिति (वर्किंग पोजिशन में करना अनिवार्य है।

5– कनेक्टर कम्पार्टमेण्ट– बी0यू0 की केबिल जोड़ी जाती है।

6– बैट्री कम्पार्टमेण्ट।

वी0वी0पैट मशीन

(VOTER VERIFIABLE PAPER AUDIT TRAIL)

मॉकपोल से लेकर वास्तविक मतदान समाप्त होने तक वीवीपैट का ब्लैक पेपर रोल नोब को वर्टिकल पोजिशन यानी खड़े स्थिति में रखना अनिवार्य है।

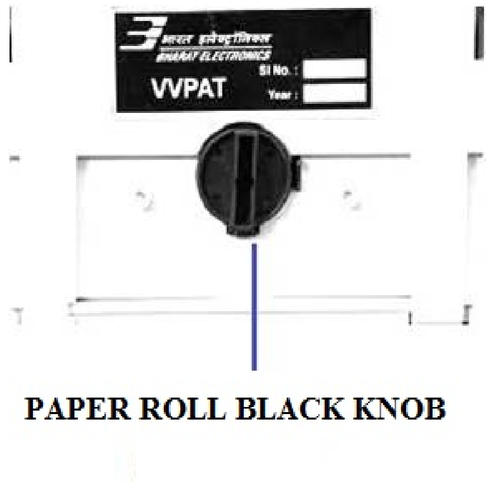

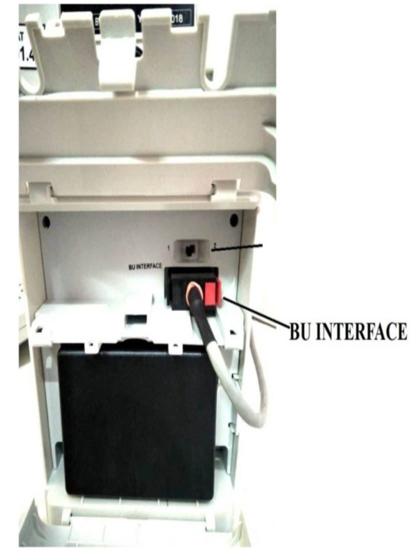

वीवीपैट के स्कीन पर उस उम्मीदवार की क्रमसंख्या, नाम और प्रतीक चिन्ह, एक पर्ची छपकर 07 सेकेण्ड तक दिखायी देने के बाद पर्ची कटकर ड्राप बाक्स में गिर जाती है।

बी0यू0 को वी0वी0पैट एवं वी0वी0पैट को सी0यू0 से कनेक्ट करने का तरीका

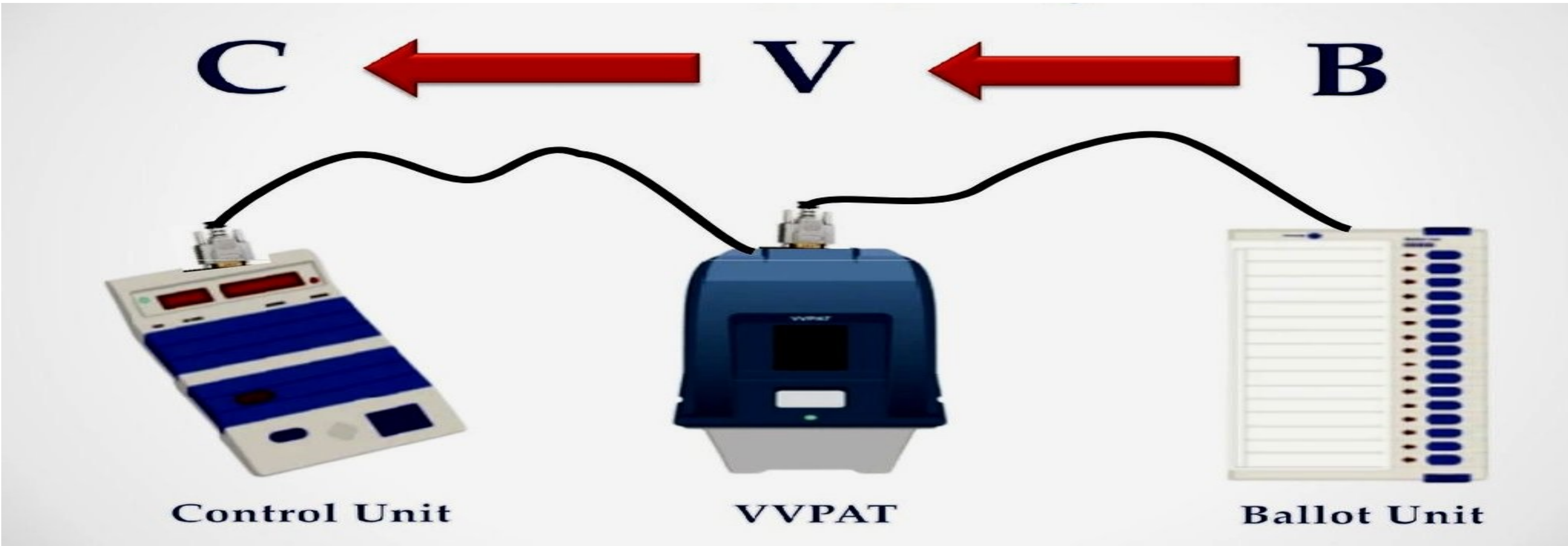

एक से अधिक बैलेट यूनिट कनेक्ट करने का तरीका

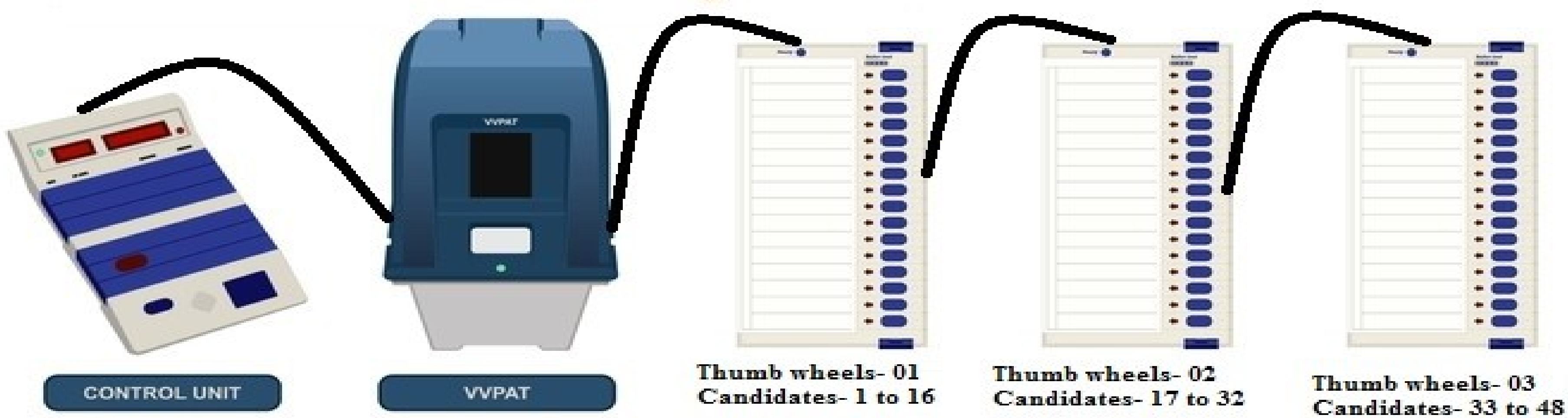

3– मॉकपोल(छद्म/दिखावटी मतदान) की कार्यवाही :–

1– मतदान शुरू होने के 01:30 घंटे पहले मॉकपोल की कार्यवाही प्रारम्भ करें।

2– मॉकपोल के समय अलग–अलग उम्मीदवारों के कम से कम 2 एजेण्ट की उपस्थिति अनिवार्य है।

3– 02 से कम एजेण्ट होने पर 15 मिनट इंतजार करें।

4– 15 मिनट के बाद जो भी एजेण्ट उपस्थित हो या न हो पीठासीन अधिकारी मतदान कार्मिकों के साथ मॉकपोल की कार्यवाही शुरू करें।

5– मॉकपोल के लिए कैरीकेस से बैलेट यूनिट एवं वीवीपैट को निकालकर वोटिंग कम्पार्टमेन्ट तथा सी0यू0 को निकालकर पीठासीन/तृतीय मतदान अधिकारी के मेज पर रखा जायेगा।

6– बैलेट यूनिट के बाई तरफ वीवीपैट रखा जाएंगा।

7– वीडियोग्राफर यदि बूथ पर नियुक्त हो तो पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी अनिवार्य है।

8– यदि माइक्रोआब्जर्वर नियुक्त है तो पूरी प्रक्रिया को आबजर्ब करेंगे।

9– प्रथम मतदान अधिकारी वोर्टिंग कम्पार्टमेंट में उपस्थित रहकर प्रत्याशीवार मॉकपोल में डाले गये वोटों का विवरण नोट करेंगा। एजेण्ट भी वोटिंग कम्पार्टमेण्ट में रहेंगे।

10– मॉकपोल के लिए तीनों मशीनों को कनेक्ट करें।

11– बी0यू0 को वी0वी0पैट एवं वी0वी0पैट को सी0यू0 से कनेक्ट किया जायेगा।

12– कनेक्शन के बाद वीवीपैट के पीछे बने पेपररोल ब्लेक नोब को वर्किंग मोड (Vertical) / खड़ा स्थिति में करना अनिवार्य है।

13– एजेण्ट को वीवीपैट का ड्राप बाक्स खोलकर दिखा दें कि वह खाली है।

14– पुनः एक बार वीवीपैट का ब्लेक नोब वर्टिकल यानी खड़ा है, चेक कर फिर सी0यू0 के पॉवर स्वीच को ऑन करें।

15– वीवीपैट मशीन अपनी हेल्थ की स्वतः 7 पर्चियॉ काटेगा जिसपर **NOT TO BE COUNTED** लिखा होगा।

16– सी0यू0 स्वयं, बी0यू0 एवं वीवीपैट को चेक करेगा और अन्त में **EVM IS READY** प्रदर्शित होगा।

17– सी.यू. का Total बटन दबाकर एजेण्ट को दिखा दें कि सभी प्रत्याशियों का मत शून्य प्रदर्शित हो रहा है। यदि कुछ मत दिखाई दे रहा हो तो मशीन का क्लोज बटन दबाये, फिर रिजल्ट अंत में क्लीयर बटन दबाकर पूर्व के वोटों को शून्य करें।

18– मॉकपोल में कम से कम 50 वोट डलवाने है। उक्त के साथ ही प्रत्येक उम्मीदवार के नीला बटन को एक बार दबाया जाना अनिवार्य है।

19—मॉकपोल में मतदान का तरीकाः—

1— पीठासीन अधि0/तृतीय मतदान अधिकारी के द्वारा बैलेट बटन दबाया जायेगा।

2— जैसे ही बैलेट बटन दबाया जायेगा सी0यू0 का बिजी लैम्प लाल रंग और बी0यू0 का रेडी लैम्प हरा रंग जल जायेगा। इसका मतलब बी0यू0 मशीन मतदान के लिए तैयार है।

3— एजेण्ट या मतदान अधिकारी के द्वारा उम्मीदवार का नीला बटन दबाया जायेगा, नीला बटन दबाते ही बी0यू0 का रेडी लैम्प जलना बंद होकर उम्मीदवार का लाल लैम्प जल जायेगा।

4— वीवीपैट पर उम्मीदवार की पर्ची 07 सकेण्ड के लिए छपकर दिखाई देगी फिर स्वतः कटकर वीवीपैट के ड्राप बाक्स में गिर जायेगी।

5– सी0यू0 के बजर से बिप की आवाज आने के साथ वोट सी0यू0 में दर्ज हो जायेगा। अंत में सी0यू0 का बिजी लैम्प तथा बी0यू0 में उम्मीदवार का लैम्प जलना बंद हो जायेगा। यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक उम्मीदवार का नीला बटन दबाने पर बी0यू0 का बिजी लैम्प, सी0यू0 का रेडी लैम्प उम्मीदवार का लैम्प जलना चाहिए, वीवीपैट पर उम्मीदवार की पर्ची कटे, ड्रॉप बाक्स में पर्ची गिरे, बीप की आवाज सुनाई दे तथा अंत में सी0यू0 का बिजी लैम्प और उम्मीदवार का लैम्प जलना बन्द हो जाए।

6– हर वोट में यही प्रक्रिया होगी। पीठासीन एवं मतदान अधिकारी हर वोट की प्रक्रिया में उक्त स्थिति को चेक करके सुनिश्चित कर लें कि उक्तानुसार ही कार्यवाही हो रही है। यानी तीनों मशीन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है।

20– टोटल बटन दबाकर से चेक कर लें कि कुल कितने वोट पड़े। यदि 50 से कम है तो उतनी संख्या में मतदान किया जाय।

21– मॉकपोल समाप्त होने के बाद सी0यू0का क्लोज बटन दबाये।

22– ड्राप बाक्स से मॉकपोल की पर्ची निकालकर उसे प्रत्याशीवार लगा लें।

23– रिजल्ट बटन दबाकर प्रत्येक उम्मीदवार को पड़े वोटों की संख्या एजेण्ट को दिखाते हुए मॉकपोल स्लीप का मिलान करते हुए प्रथम मतदान अधिकारी प्रत्याशीवार वोटों का विवरण एवं स्लीप की संख्या नोट कर मॉकपोल के दौरान नोट किये गये विवरण से मिलान करें।

24– तुरंत क्लीयर बटन दबाये जिससे प्रत्येक उम्मीदवार का वोट शून्य हो जाए फिर टोटल बटन दबाकर चेक करें कि पोल्ड वोट शून्य दिखाई दे रहा है। पीठासीन के साथ प्रथम मतदान अधिकारी भी टोटल बटन दबाकर चेक करें कि कुल पोल्ड वोट 0(शून्य) प्रदर्शित हो रहा है।

25– सी0यू0 का पॉवर स्वीच ऑफ करें। माकपोल सम्पन्न होने के बाद सी0यू0 के डिस्प्ले पर प्रदर्शित समय व दिनांक एवं तत्समय भारतीय मानक समयानुसार वास्तवित समय एवं दिनांक में यदि अंतर हो तो उसे मॉकपोल प्रमाण पत्र के निर्धारित कॉलम में दर्ज किया जाए।

26– दो प्रतियों में मॉकपोल प्रमाण–पत्र पर आवश्यक प्रविष्टियॉ भरें। विशेष ध्यान दे– जिस समय जो कार्यवाही करनी है उसे करते जाय उतना भाग भरते जाए जिससे मॉकपोल की पूरी प्रक्रिया में कोई भी स्टेज की कार्यवाही छूट न जाए, मॉकपोल प्रमाण–पत्र में हर स्टेज के बिन्दु लिखे गये है। पीठासीन एवं मतदान अधिकारी प्रथम मॉकपोल के प्रारूप को स्वयं गम्भीतरपूर्वक पढ़ लें।

27– मॉकपोल प्रमाण–पत्र पर मॉकपोल के दौरान उपस्थित एजेण्ट का हस्ताक्षर करायें।

28– माइक्रो आबजरबर नियुक्त होने पर मॉकपोल प्रमाण–पत्र पर उनका भी हस्ताक्षर प्राप्त करें। प्रमाण–पत्र पर पीठासीन अधिकारी एवं समस्त मतदान अधिकारी हस्ताक्षर करेंगे।

29– सेक्टर मजिस्ट्रेट के प्रथम भ्रमण पर मॉकपोल प्रमाण–पत्र की एक प्रति अनिवार्य रूप से पीठासीन अधिकारी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

30– मॉकपोल के उपरान्त वी0वी0पैट की पर्ची को सील्ड करना–

A– मॉकपोल के पर्ची के पीछे मॉकपोल सील की मोहर लगाना अनिवार्य है।

B– काले रंग के लिफाफे में मॉकपोल की पर्ची रखकर बन्द करें।

C– लिफाफे के पीचे पीठासीन व एजेण्ट अपना हस्ताक्षर करें।

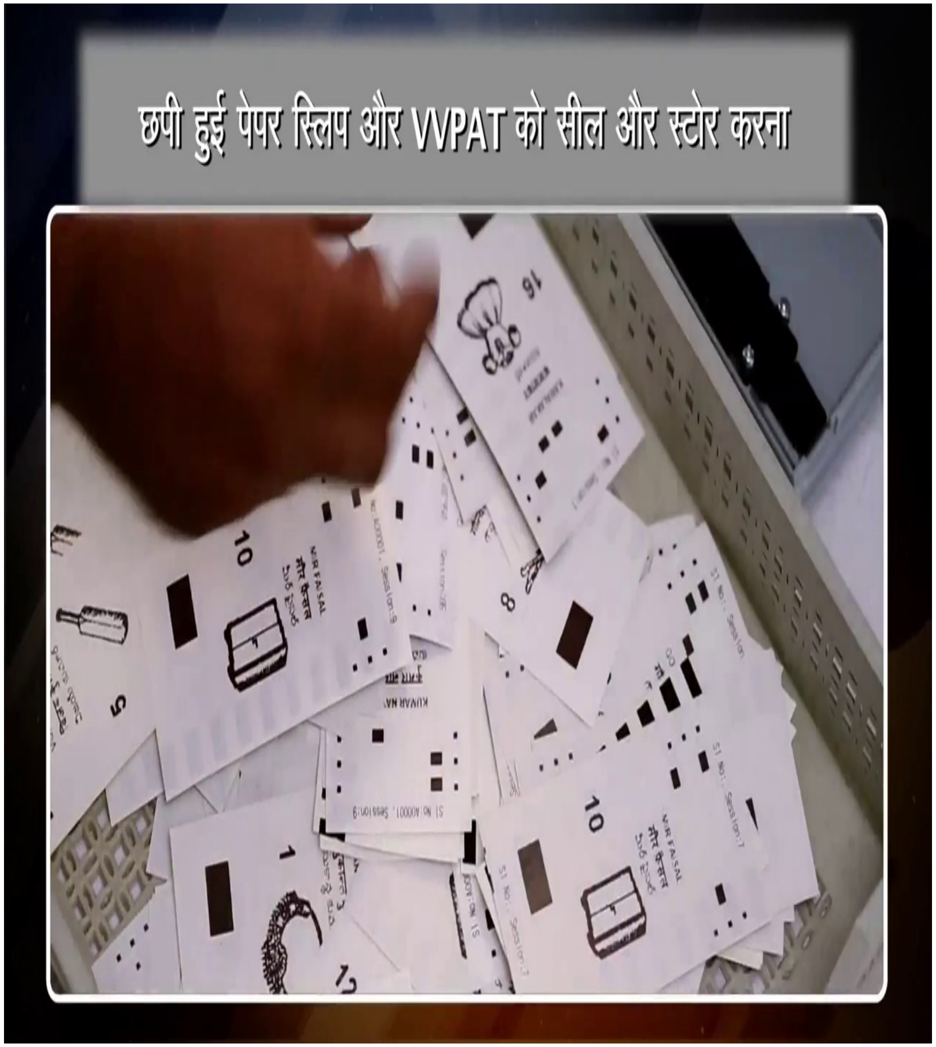

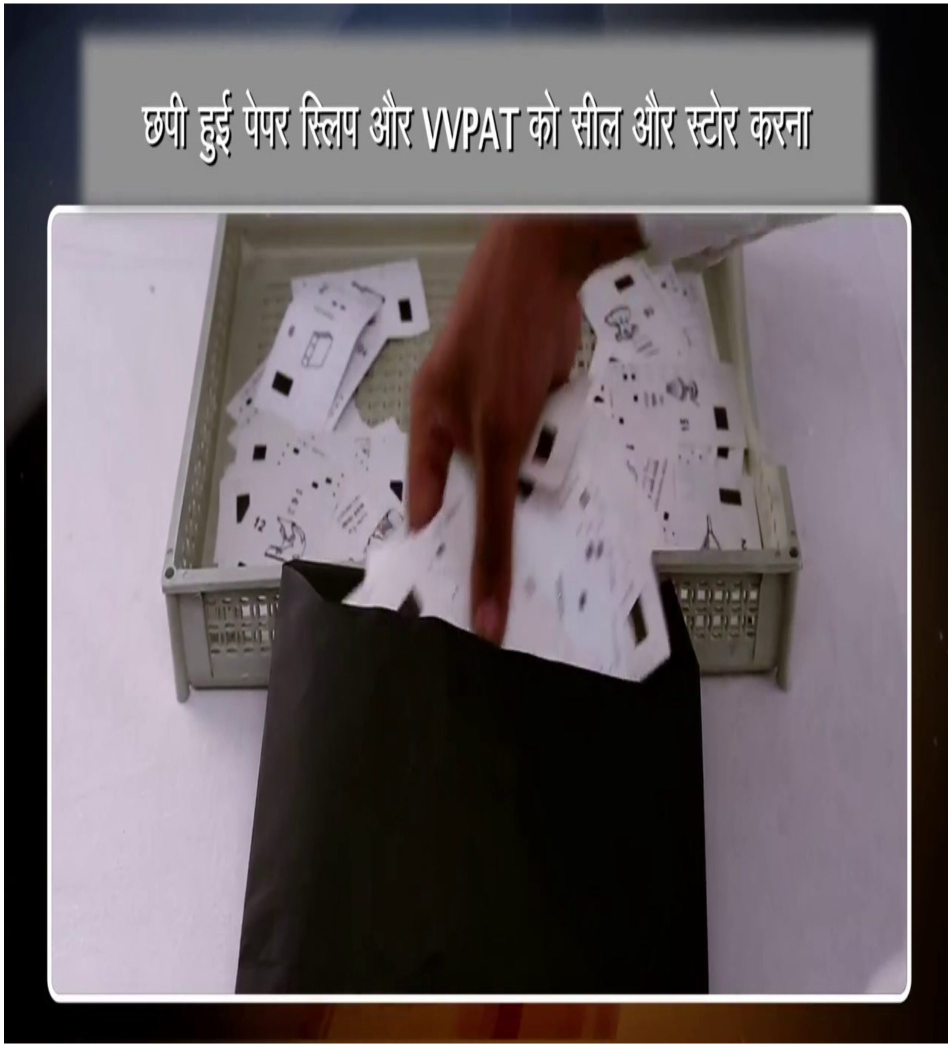

C– लिफाफे पर विधानसभा का नाम, पोलिंग स्टेशन का नाम, सीयू,वीवीपैट का नंबर, मतदान का दिनांक, मतगणना का दिनांक पीठासीन अधिकारी अनिवार्य रूप से निर्धारित कालम में लिखे।

D– काले रंग के लिफाफा को प्लास्टिक बाक्स में रखकर पिंक पेपरसील से पीठासीन अधिकारी सील करें।

E– बाक्स पर भी विधानसभा का नाम व नम्बर, पोलिंग स्टेशन का नाम व नम्बर, सीयू,वीवीपैट का नंबर, मतदान का दिनांक, मतगणना का दिनांक पीठासीन अधिकारी अनिवार्य रूप से निर्धारित कालम में लिखे।

वास्तविक मतदान हेतु वीवीपैट एवं सी0यू0 की सीलिंग की कार्यवाही:–

1–वीवीपैट के ड्राप बाक्स को सील्ड करना:–

विशेष ध्यान:–

(A) पीठासीन चेक करें कि मॉकपोल की पर्ची ड्राप बाक्स में नहीं बची है यानी ड्राप बाक्स पूर्णरूप से खाली है।

(B) पीठासीन अधिकारी वी0वी0पैट के **Ballot Slip Compartment** को बाये व दाहिनी ओर बने होल में एड्रेस टैग के माध्यम से सील्ड करें।

3–ग्रीन पेपर सील लगानाः–

(A) रिजल्ट सेक्शन नीले कवर से बन्द रहता है। नीचे से ऊपर की ओर पुश करने पर खुल जाता है।

(B) रिजल्ट सेक्शन के अंदर एक छोटा कवर मिलेगा। जिसमें दो होल बना होगा उसमें ऊंगुली डालकर ऊपर की ओर खीचे उक्त कवर खुल जाएंगा।

(C) छोटे कवर में ग्रीन पेपर सील लगाने के लिए स्थान/फ्रेम बना होता है।

(D) पीठासीन अधिकारी ग्रीन पेपर सील का क्रमांक नोट करें। सफेद भाग (पृष्ठ भाग) पर अपना और उपस्थित एजेण्ट का हस्ताक्षर करायें।

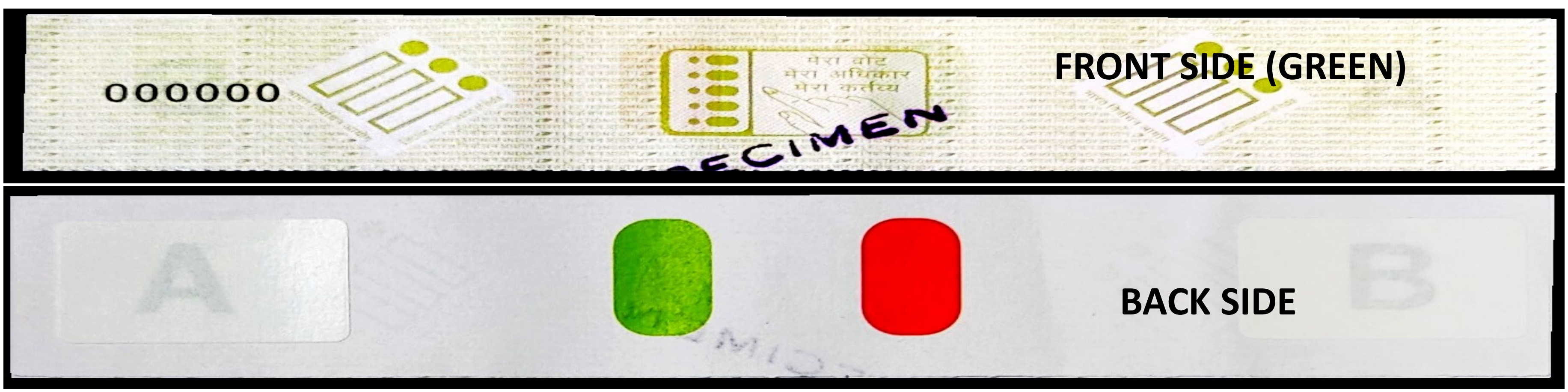

GREEN PAPER SEAL

(E) इनर डोर (छोटे कवर)को थोड़ा सा ऊपर उठाकर फ्रेम के अंदर ग्रीन पेपर सील को इस प्रकार इंसर्ट करें कि **A** भाग ऊपर तथा **B** भाग नीचे की आरे तथा ग्रीन गोला रिजल्ट बटन के ऊपर तथा पिंक गोला प्रिन्ट बटन के ऊपर दिखाई दे। दोनों सिरा बाहर रखते हुए इनर कवर को बन्द करें।

(F) इनर कवर के बन्द वाले स्थान से धागा निकालकर क्लोज सेक्शन में स्पेशल टैग लगाने के बाद उसे क्लोज सेक्शन में फिट करें। रिजल्ट सेक्शन के मेन डोर को बन्द किया जाए। ग्रीन पेपर सील के **A** भाग पर गम/वैक्स को हटाकर आउटर कवर पर चिपका दें तथा **B** भाग के गम/वैक्स को हटाकर **A** भाग के ऊपर चिपका दें। चपकाने के बाद ग्रीन पेपर सील का नम्बर दिखाई देना चाहिए।

कन्ट्रोल युनिट
Control Unit
On
Busy
Election Commission of India
Close
Total
Ballot

कन्ट्रोल युनिट
Control Unit
On
Busy
Election C
n of India
Close
Total
Ballot

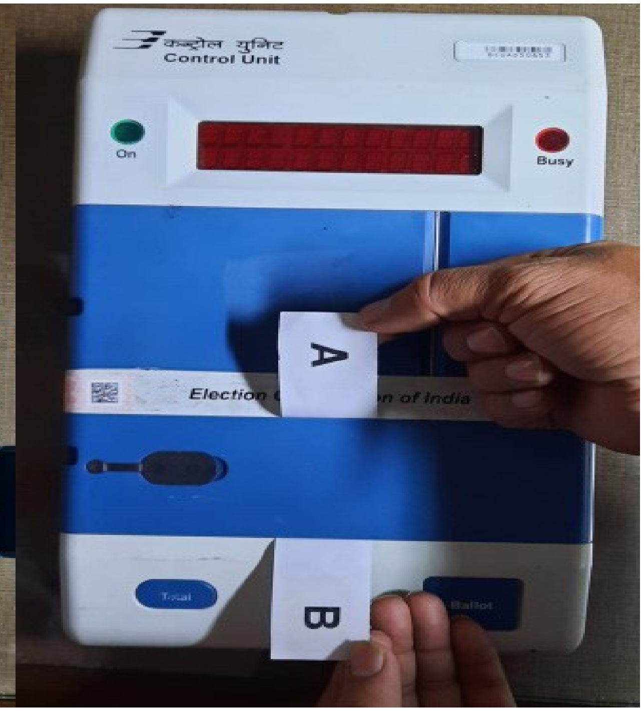
कन्ट्रोल युनिट
Control Unit
On
Busy
Election
n of India
A
Total
B
Ballot

B

4—स्पेशल टैग:—

1— पीठासीन अधिकारी, स्पेशल टैंग का नंबर नोट करें।

2— स्पेशल टैग के सामने भाग पर सी0यू0 का नंबर अंकित करें।

3— स्पेशल टैग के पीछे भाग पर पीठसीन अधिकारी अपना और उस समय उपस्थित एजेण्ट का हस्ताक्षर कराये।

4— नीले छोटे कवर के छेद में धागा डालकर स्पेशल टैग को सील्ड करें। स्पेशल टैग को क्लोज सेक्शन के अंदर फिट कर लें, केवल क्लोज का काला बटन दिखाई दे।

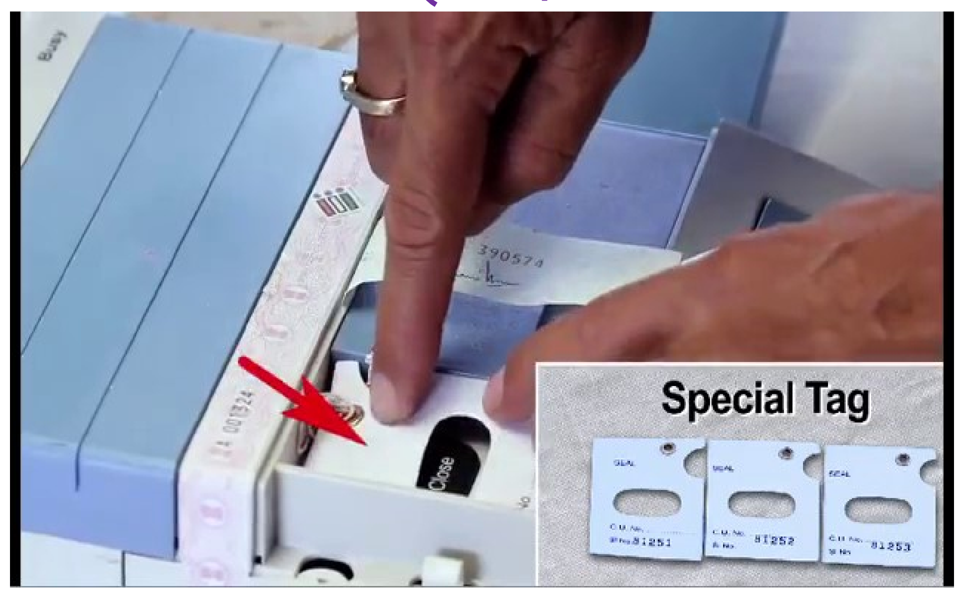

5– एड्रेस टैग :– मुख्य कवर को बंद करें । धागा छेद में डालकर एड्रेस टैग से पूरे रिजल्ट सेक्शन को सीलड करें।

कन्ट्रोल यूनिट को एड्रेस टैग के द्वारा सीलिंग की कार्यवाही

विशेष ध्यान :– वास्तविक मतदान के समय ईवीएम रखने का स्थान

1– बी0यू0 और वीवीपैट वोटिंग कम्पार्टमेण्ट में मॉकपोल के दौरान जिस अवस्था में था, उसी अवस्था में रहेंगा। कनेक्शन को उसीतरह रखना है।

2– सी0यू0 तृतीय मतदान अधिकारी अथवा पीठासीन अधिकारी की मेज पर रखें।

पांचवां चरण :–

मतदान कक्ष में प्रवेश हेतु अधिकृत व्यक्तियों का विवरण

1– पीठासीन अधिकारी/मतदान अधिकारी।

2– प्रत्येक अभ्यर्थी, उसका निर्वाचन अभिकर्ता, और एक समय पर प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा नियुक्त एक मतदान अभिकर्ता ।

3– आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति जैसे माइक्रो ऑब्जर्वर आदि।

4– निर्वाचन के सम्बन्ध में कर्तव्यरुढ़ लोक सेवक।

5– आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक।

6– निर्वाचक के साथ गोद में शिशु/बच्चा।

7– ऐसे अन्धे और शिथिलांग मतदाता जो बिना सहायता के चल फिर नहीं सकते, के साथ अनुमति प्राप्त कोई व्यक्ति।

8– ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें समय–समय पर मतदाताओं की पहचान के लिए या अन्य प्रकार से मतदान में आपकी सहायता करने के प्रयोजन के लिए आप प्रवेश करायें।

विशेष :– बूथ के अंदर शस्त्र, असलहा ले जाना मना है। केवल जेड प्लस सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति के साथ सुरक्षा कर्मी शस्त्र/असलहा को कपड़े से ढककर ले जा सकता है।

छठा चरणः— मतदान प्रारम्भ करनाः—

1— पीठासीन अधिकारी मतदान घोषणा सम्बन्धी भाग—1 भरते हुऐ उपस्थित एजेण्ट के हस्ताक्षर प्राप्त करें।

2— पीठासीन अधिकारी सभी मतदान कार्मिक एवं उपस्थित एजेण्टों को लोक प्रतिनिधत्व अधिनियम 1951 की धारा 128 को पढ़कर सुनाये—

''सभी कार्मिक एवं एजेण्ट मतदान की गोपनीयता को बनाये रखेंगे और रखने में सहायता करेंगे। यदि किसी के द्वारा उक्त का उल्लंघन किया जाता है तो उसके विरूद्ध करावास या जुर्माना या दोनों सजा होगी।''

3— ठीक 07:00 बजे मतदान प्रारम्भ होगा। यदि किन्हीं कारणों से मतदान बजे.07:00 बजे प्रारम्भ न हो पावे तो कुछ मतदाताओं को मतदेय स्थल के अंदर बुलाकर पहचान इत्यादि की कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

4– मतदान हेतु सी.यू. का पॉवर स्वीच ऑन करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि वीवीपैट का पेपर रोल ब्लैक नोब वर्टिकल (खड़े)यानी वर्किंग मोड में है।

5– प्रथम मतदान अधिकारी के व्दारा मतदाता का नाम व क्रमांक जोर से पुकारने के साथ उसकी पहचान ईपिक या निर्धारित फोटोयुक्त 11 विकल्पों से किया जायेगा।

विशेष :– यदि मतदाता अपने साथ नाम, मतदाता सूची में क्रमांक से संबंधित पर्ची लेकर आता है तो उस पर्ची पर उसका नाम, निर्वाचक नामावली की भाग संख्या एवं मतदाता का क्रम संख्या के अतिरिक्त कोई चिन्ह/उम्मीदवार का नाम आदि नही लिखा होना चाहिए। यह पर्ची केवल मतदाता सूची में नाम व क्रमांक खोजने मे मदद करती है।

6–मतदाता की पहचान हेतु ईपिक के अतिरिक्त वैध अभिलेख

1– पासपोर्ट ।

2– डाईविंग लाइसेन्स ।

3– राज्य/ केन्द्र सरकार,सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों व्दारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त पहचान–पत्र ।

4– बैंकों/डाकघर के व्दारा जारी फोटोयुक्त पासबुक।

5– पैन कार्ड।

6– आरजीवाई एवं एनपीआर व्दारा जारी किये गये स्मार्टकार्ड।

7– मनरेगा जाबकार्ड।

8– श्रम मंत्रालय व्दारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड।

9– फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज।

10– सांसदों, विधायकों विधान परिषद सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान–पत्र।

11– आधारकार्ड।

7–मतदाता सूची में मतदाता को चिन्हित करने का तरीका

प्रथम मतदान अधिकारी निम्नानुसार चिन्हांकन करें–

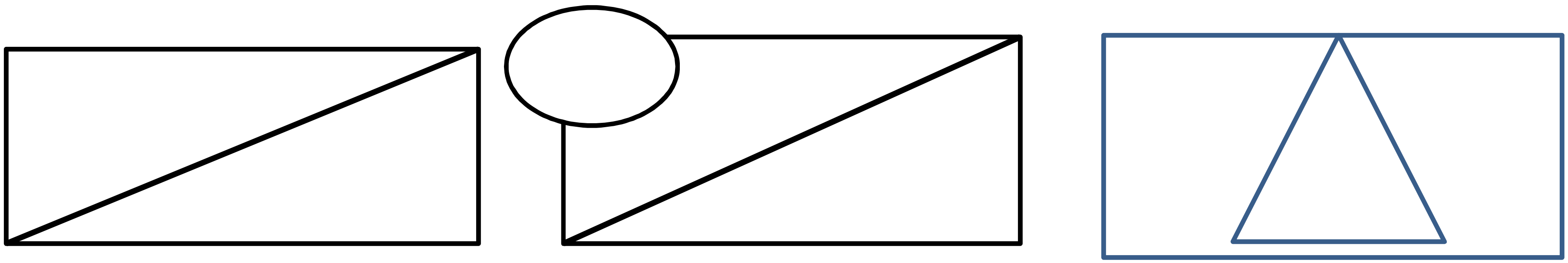

(पुरूष मतदाता की दशा में) (महिला मतदाता की दशा मे) (अन्य मतदाता की दशा मे)

A– मतदाता सूची में प्रत्येक मतदाता का नाम पृथक–पृथक एक बाक्स के रूप में अंकित होता है।

B– पुरूष मतदाता की दशा में लालपेन से क्रास।

C– महिला मतदाता की दशा में लाल पेन से क्रास के साथ–साथ उसके क्रमांक को गोला करना होगा।

D– अन्य के लिए बाक्स में त्रिभुज का चिन्ह बनाना होगा।

8–अमिट स्याही लगाने का तरीका –(प्रभारी,द्वितीय मतदान अधिकारी)

प्रथम मतदान अधिकारी द्वारा मतदाता सूची में मतदाता को चिन्हित करने के उपरान्त मतदाता द्वितीय मतदान अधिकारी के पास जायेगा। द्वितीय मतदान अधिकारी सर्वप्रथम मतदाता के बाये हॉथ की तर्जनी का अवलोकन कर यह देखेगा कि उसपर अमिट स्याही तो नहीं लगी है यदि नहीं लगी है तो उस उंगली में अमिट स्याही नाखून एवं एवं अगूली के पहले फोल्ड तक लगाना होगा।

यदि तर्जनी नहीं है तो मध्यमा, मध्यमा नहीं है तो अनामिका, कनिष्ठिका, अंगुष्ठिका यदि बाये हाथं में उक्त सभी नहीं है तो दाहिनी हॉथ के तर्जनी से शुरू करें।

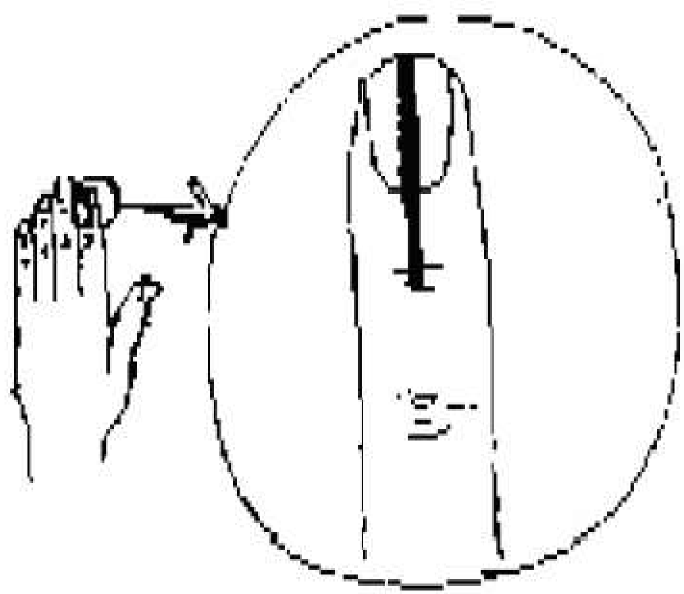

9–मततदाता रजिस्टर 17 एः– (प्रभारी–द्वितीय मतदान अधिकारी)

अमिट स्याही लगाने के बाद द्वितीय मतदान अधिकारी मतदाता रजिस्टर में विवरण दर्ज करे।

1– मतदाताओं के संबंध में आवश्यक विवरण उक्त रजिस्टर पर दर्ज किया जाता है।

2– रजिस्टर पर पहला मतदाता का विवरण दर्ज करने के पूर्व प्रथम मतदान अधिकारी के साथ पीठासीन अधिकारी सी0यू0 का टोटल बटन दबाकर चेक करें कि कुल पोल्ड वोट शून्य(0) प्रदर्शित हो रहा है। रजिस्टर के शुरूआत में सबसे ऊपर प्रथम एवं पीठासीन अधिकारी को अपने हस्ताक्षर से निम्न स्टेटमेण्ट लिखना होगा :–

मॉक पोल सम्पन्न होने मॉकपोल का डाटा क्लीयर करने के बाद कन्ट्रोल यूनिट को चेक किया। कुल पोल्ड वोट 0 प्रदर्शित हो रहा है।

नाम व पदनाम हस्ताक्षर सहित प्रथम मतदान अधिकारी

पीठासीन अधिकारी

3— मतदाता रजिस्टर का प्रारूपः—

क्र0 सं0	निर्वाचन नामावली का क्रम संख्यांक	निर्वाचक के व्दारा अपनी पहचान के सबूत में प्रस्तुत दस्तावेज का ब्यौरा	निर्वाचक के हस्ताक्षर/अँगूठे का निशान	टिप्पणियॉ
1	2	3	4	5

4— कालम संख्या 1 में रजिस्टर की क्रमसंख्या, कालम संख्या—2 में मतदाता का नाम मतदाता सूची में किस क्रमांक पर है, लिखा जायेगां। कालम संख्या—3 में मतदाता द्वारा पहचान के रूप में यदि ईपिक का प्रयोग किया जाता है तो केवल **EP**लिखा जायेगा। अन्य 11 विकल्पों में से किसी विकल्प का प्रयोग करने पर विकल्प का नाम एवं उसपर अंकित नंबर का अंतिम 4 डिजिट उल्लेख करना अनिवार्य है। यदि नम्बर 4 डिजिट में न हो तो उसके पहले 0 लगा करके 4 डिजीट बनाया जाएं।

विभिन्न स्थितियों में उदाहरण के साथ मतदाता रजिस्टर पर प्रविष्टियॉ

निम्न स्थिति आने पर मतदाता रजिस्टर भरने का तरीका	निर्वाचन नामावली का क्रम संख्यांक	निर्वाचक के व्दारा अपनी पहचान के सबूत में प्रस्तुत दस्तावेज का ब्यौरा	निर्वाचक के हस्ताक्षर/ॲगूठें का निशान	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1– पहचान के रूप में ईपिक का प्रयोग करने पर	मतदाता सूची में मतदाता की क्रम संख्या	**EP**	मतदाता का हस्ताक्षर/अगॅूठा निशान	–
2– पहचान के रूप में ईपिक के अतिरिक्त अन्य दस्तावेज का प्रयोग करन पर	मतदाता सूची में मतदाता की क्रम संख्या	विकल्प का नाम व अतिम चार डिजिट	मतदाता का हस्ताक्षर/अगॅूठा निशान	–

3– मतदाता द्वारा मत न दिये जाने का निर्णय करने पर	मतदाता सूची में मतदाता की क्रम संख्या	प्रस्तुत दस्तावेज का नाम व अंतिम के 4 डिजिट या **EP**	मतदाता का हस्ताक्षर / अगॅूठा निशान	मतदाता व्दारा मत रिकार्ड न करने का निश्चय किया गया। मतदाता का हस्ताक्षर / अगॅूठा निशान –
4– मतदाता द्वारा मतदान प्रक्रिया भंग करने पर।	मतदाता सूची में मतदाता की क्रम संख्या	प्रस्तुत दस्तावेज का नाम व अंतिम के 4 डिजिट या **EP**	मतदाता का हस्ताक्षर / अगॅूठा का निशान	मतदाता व्दारा मतदान प्रक्रिया भंग किया गया । पीठासीन अधि0 का हस्ताक्षर
5– साथी के माध्यम से मतदान करने पर	मतदाता सूची में मतदाता की क्रम संख्या	प्रस्तुत दस्तावेज का नाम व अंतिम के 4 डिजिट या **EP**	अगॅूठा निशान / हस्ताक्षर साथी का होगा।	साथी के व्दारा मतदान किया गया।

6– ए0एस0डी0 लिस्ट से मतदाता मतदान करने पर	मतदाता सूची में मतदाता की क्रम संख्या	प्रस्तुत दस्तावेज का नाम व अंतिम के 4 डिजिट या **EP**	यदि मतदाता हस्ताक्षर करता है तो हस्ताक्षर के साथ अगूॅठा का निशान अनिवार्य है।	ए0एस0डी0 मतदाता तथा इसमें किसी श्रेणी का है। ए या एस या डी में से एक होगा।
7–टेस्ट वोट	मतदाता सूची में मतदाता की क्रम संख्या	प्रस्तुत दस्तावेज का नाम व अंतिम के 4 डिजिट या **EP**	मतदाता का हस्ताक्षर/अगूॅठा का निशान	टेस्ट वोट उम्मीदवार का नाम जिसके पक्ष में दिया गया।
8–प्राक्सी वोट	प्राक्सी मतदाता सूची में मतदाता की क्रम संख्या	प्रस्तुत दस्तावेज का नाम व अंतिम के 4 डिजिट या **EP**	मतदाता का हस्ताक्षर/अगूॅठा का निशान	प्राक्सी के द्वारा

नोट :– मतदाता के अंगूठा के निशान में बायें हाथ के अंगुठा का प्रयोग होता है।

10– द्वितीय मतदान अधिकारी मतदाता रजिस्टर में विवरण दर्ज करने के बाद अपने हस्ताक्षर से मतदाता को मतदाता पर्ची जारी करेगा।

मतदाता पर्ची का प्रारूप :–

मतदाताओं के रजिस्टर– 17क के स्तम्भ–1 के अनुसार निर्वाचक की क्रमसंख्या........................

निर्वाचक नामावली में यथा प्रविष्टि निर्वाचक की क्रमसंख्या.

मतदान अधिकारी के लघु हस्ताक्षर

11– मतदाता, मतदाता पर्ची लेकर तृतीय मतदान अधिकारी के पास जाएगा। तृतीय मतदान अधिकारी मतदाता पर्ची को क्रम से रखते हुए मतदाता की बाई हाथ की तर्जनी की अमिट स्याही को चेक करेगा। तद्‌ोपरान्त सी0यू0 का बैलेट बटन दबाते हुए मतदाता को वोटिंग कर्म्पामेंट में जाने हेतु अनुमति प्रदान करेंगा।सी0यू0 का बिजी लैम्प लाल रंग और बैलेट यूनिट का रेडी लैम्प हरा रंग जलने लगेगा।

12– मतदाता वोटिंग कम्पार्टमेण्ट में जाकर बी0यू0 पर प्रत्याशी का नीला बटन दबाते हुए वीवीपैट के स्क्रीन को देखेगा जिसपर उस प्रत्याशी का क्रम संख्या नाम व प्रतीक चिन्ह प्रिन्ट होकर 07 सेकण्ड के लिए दिखाई देने के बाद ड्राप बाक्स में पर्ची स्वतः कटकर गिरने के बाद सी0यू0 में बीप की आवाज होने के साथ मतदाता का मत रिकार्ड हो जायेगा। मतदाता का मत रिकार्ड होने के बाद सी0यू0 का बिजी लैम्प एवं उम्मीदवार का लाल लैम्प जलना बंद हो जाता है।

13– <u>प्रथम वोट पड़ने पर पीठासीन अधिकारी टोटल बटन दबाकर सुनिश्चित कर लें कि कुल पड़े वोटों की संख्या 01 ही प्रदर्शित हो रही है।</u>

14– समय–समय पर टोटल बटन दबाकर मतदाता रजिस्टर 17क से मिलान करते रहें।

15– समय–समय पर पीठासीन अधिकारी की डायरी भरते रहें।

16– सेक्टर/जोनल मजिस्ट्रेट के आने पर भ्रमण शीट अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें।

17– <u>प्रत्येक 2–2 घंटे पर कुल पड़े वोटों की संख्या पीठासीन अधिकारी की डायरी में लिखे तथा सेक्टर मजिस्ट्रेट को भी बतायें।</u>

18– मतदान हेतु निर्धारित समय 06:00 बजे तक जितने मतदाता लाइन में लगे हो वे सभी वोट देने के हकदार होंगे। पीठासीन अधिकारी उक्त समय तक उपस्थित मतदाताओं की लाइन लगाकर अपने हस्ताक्षरयुक्त पर्ची जिसपर 1, 2, 3........लिखा होगा जारी करेंगे। तात्पर्य यह है कि प्रथम मतदाता को अंतिम नंबर की पर्ची और अंतिम मतदाता को प्रथम नंबर की पर्ची जारी करके वोट डालने की अनुमति देंगे।

19– अंतिम मतदाता व्दारा मत अंकित किये जाने के बाद मतदाता रजिस्टर–17क पर अंतिम प्रविष्टि के बाद एक लाईन खींचकर हस्ताक्षरयुक्त स्टेटमेन्ट निम्न प्रकार लिखेंगे– ''मतदाता रजिस्टर 17क के अंतिम प्रविष्टि का क्रमांक..........है।'' पीठासीन अधिकारी अपना हस्ताक्षर तथा उपस्थित एजेण्ट का हस्ताक्षर स्टेटमेन्ट के नीचे अनिवार्य रूप से प्राप्त करेंगे।

20–मतदान के दौरान आने वाली विभिन्न स्थितियों में की जाने वाली कार्यवाही

1– ए0एस0डी0 मतदाताओं का चिन्हांकन।

2– चैलेन्ज वोट।

3– टेण्डर वोट (निविदत्त मत)।

4– पी0डब्लू0डी0 मतदाता (Person with Disability)।

5– महिला मतदाता के संबंध में विशेष ध्यान/सुविधाएं।

6– मतदाता के आयु के संबंध में ।

7– टेस्ट वोट (परीक्षण मत)।

8– ''49 ओ''के तहत मतदाता द्वारा मत न दिये जाने का निर्णय करने पर निर्धारित प्रकिया का पालन करना।

9– ''49 एम''के तहत मतदाता द्वारा मतदान प्रकिया का पालन न करना/गोपनीयता भंग करने पर निर्धारित प्रकिया का पालन।

10– प्राक्सी मतदाता।

11– मतदान के दौरान ई0वी0एम0 से आने वाली अन्य स्थितियां।

12– मतदान के दौरान बी0यू0, सी0यू0 और वीवीपैट में खराबी आने पर की जाने वाली कार्यवाही।

1—ए0एस0डी0 मतदाताओं का चिन्हांकनः—

ए0एस0डी0 मतदाताओं का आशय अनुपस्थित, किसी अन्य स्थान पर चले जाना एवं मृतक से है। उक्त लिस्ट के मतदाता जब भी मतदान करने आएं तो उनके संबंध में निम्न कार्यवाही की जाएंः—

A— पहचान हेतु प्रस्तुत ईपिक एवं अन्य विकल्पों की गम्भीरता से जांच करना।

B— बाई हॉथ की तर्जनी का अवलोकन करना कि अमिट स्याही पहले से तो नहीं लगी है यदि लगा है तो ऐसे मतदाता अपना वोट नहीं दे सकते है।

C— मतदाता रजिस्टर 17क में मतदाता का हस्ताक्षर/अंगूठा निशान के कालम में यदि मतदाता साक्षर है तो हस्ताक्षर के अतिरिक्त उसका अंगूठा निशान भी अनिवार्य रूप से लेना होगा।

D— ऐसे मतदाता से घोषणा पत्र भरवाना अनिवार्य होगा।

E— यदि बूथ पर वीडियोग्राफर / फोटोग्राफर तैनात है तो ऐसे मतदाताओं की वीडियोग्राफी अनिवार्य रूप से करानी होगी।

F— ए0एस0डी0 लिस्ट से जो मतदाता मतदान करेंगे उनकी सूचना निर्धारित प्रारूप पर पीठासीन अधिकारी को मतदान समाप्ति के उपरान्त जमा करना होगा।

अनुलग्नक–16

(अध्याय 18, पैरा 18.1.2.5)

मतदाता का घोषणा–पत्र, जिनका नाम अनुपस्थित/स्थानांतरित/मृत सूची में है

मैं सत्यनिष्ठा पूर्वक घोषणा एवं पुष्टि करता/करती हूॅं कि मैं वही व्यक्ति हूॅं, जिसका नाम.....................................विधानसभा क्षेत्र.................................के मौजूदा तैयार/संशोधित मतदाता सूची जनवरी माह कि प्रथम अर्हकारी तिथि 20.........के भाग क्रमांक ....में दर्ज है, मुझे ज्ञात है कि निर्वाचन के दौरान प्रतिरूपण **IPC** के **171D** धारा के तहत चुनाव अपराध है।

....

मतदाता के हस्ताक्षर/अंगूठ का निशान

मतदाता का नाम...

प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित मतदाता द्वारा उपरोक्त घोषणा मेरे सामने की गई है।

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

मतदान केन्द्र का नाम एवं क्रमांक................

दिनांक..

2—चैलेन्ज वोटः—

1— जब किसी मतदाता पर उपस्थित किसी एजेण्ट द्वारा यह आपत्ति की जाती है कि यह वह मतदाता नही है, जिसका नाम मतदाता सूची में है, तो इस पर चैलेन्ज वोट की प्रकिया अपनायी जायेगी।

2— प्रथम मतदान अधिकारी बिना प्रतीक्षा किये तुरंत ऐसे मतदाता को पीठासीन अधिकारी के पास भेज दें और दूसरे मतदाता के लिए कार्यवाही सुनिश्चित करें, जिससे वोटिंग प्रक्रिया प्रभावित न हो।

3— पीठासीन अधिकारी चुनौतीकर्ता को 2 रू0 नकद जमा करने हेतु कहे यदि वह 2रू0 नकद जमा करता है तो चुनौती स्वीकार करें अन्यथा चुनौती स्वीकार न किया जाएं।

4— 2रू0 नकद जमा करने के बाद चुनौतीकर्ता को उपबंध—8 में निर्धारित प्रारूप पर धनराशि प्राप्ति की रसीद दे दिया जाएं।

5— जिस मतदाता के बारे में चुनौती दी गई है उसको पीठासीन अधिकारी बता दें कि यदि वह वास्तविक मतदाता नहीं होगा तो उसके विरूद्व मा0 आयोग की सुसंगत धाराओं में कार्यवाही की जाएंगी जो जुर्माना, जेल अथवा दोनों हो सकता है।

6— निर्वाचन नामावली में सुसंगत प्रविष्टि को पढ़कर मतदाता को सुनाएंगा और उससे पूछेगा कि क्या वह वही व्यक्ति है जो पढ़कर सुनाया गया है/निर्वाचन नामावली में अंकित है।

संक्षिप्त जांचः–

1– चुनौतीकर्ता मतदाता के बारे में साक्ष्य/सबूत प्रस्तुत करें। यदि चुनौतीकर्ता प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो चुनौती को नहीं माना जाएं और मतदाता को मत देने की अनुमति प्रदान कर दें।

2– यदि चुनौतीकर्ता प्रथम दृष्टया यह सिद्व कर देता है कि वह व्यक्ति प्रश्नगत मतदाता नहीं है तो प्रश्नगत मतदाता को चुनौती के खण्डन के लिए साक्ष्य/सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दें।

3– यदि प्रश्नगत मतदाता सिद्ध कर देता है कि वही वास्तविक मतदाता है और पीठासीन अधिकारी संतुष्ट हो जाता है तो उसे मत देने की अनुमति दे।

4– चुनौती सिद्व होने पर 2रू0 की रसीद जो काटी गई है उस रसीद के प्रतिपर्ण पर हस्ताक्षर लेकर 2 रू0 चुनौतीकर्ता को वापस कर दें तथा उक्त व्यक्ति को जिसके बारे में चुनौती की गई है, के बारे में निर्धारित प्रारूप पर सूचना भर करके मौके पर उपस्थित पुलिस बल को सौप दें।

5– यदि चुनौती सिद्व नहीं होती है तो चुनौती फीस 2 रू0 सरकार के पक्ष में जब्त करके चुनौती मतों की सूची प्रारूप–14 के स्तम्भ 10 पर जमाकर्ता के हस्ताक्षर या अॅंगूठें का निशान लेने के बजाय शब्द ''जब्त'' लिख दिया जाएं।

प्रारूप–14 (अभ्याक्षेपित /चैलेन्ज/आपत्तिकृत मतों की सूची का प्रारूप)

(नियम 36 (2)(ग) देखिये)

विधानसभा के निर्वाचन में मतदान केन्द्र का संख्यांक और नाम................................मतदान के स्थान का नाम

प्रविष्टि की क्रम संख्यांक	निर्वाचक का नाम	नामावली की भाग संख्यां	उस भाग में निर्वाचक के नाम क्रम संख्या	जिस व्यक्ति के खिलाफ अभ्याक्षेप किया गया है उस व्यक्ति के हस्ताक्षर या अंगूठा का निशान	जिस व्यक्ति के खिलाफ अभ्याक्षेप किया गया है उस व्यक्ति का पता	यदि कोई पहचानने वाला है तो उसका नाम	अभ्याक्षेप कर्ता का नाम	पीठासीन आफिसर का आदेश	निक्षेप का प्रतिदाय प्राप्त करने पर अभ्याक्षेप कर्ता के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

3–टेण्डर वोट (निविदत्त मत):–

1– किसी मतदाता का यदि वोट पूर्व में पड़ चुका हो और वह कहता है कि उसने वोट नही डाला है तो परीक्षणोंपरान्त ऐसे मतदाता को टेण्डर वोट से मतदान की अनुमति दी जाती है।

2– टेण्डर वोट हेतु प्रत्येक मतदेय स्थल पर 20 की संख्या में छपा हुआ मतपत्र दिया जाता है।

3– मतदता को पीठासीन अधिकारी के पास भेज दिया जाएं और प्रथम मतदान अधिकारी अगले मतदाता की पहचान एवं मतदाता सूची में चिन्हीकरण का कार्य शुरू कर दें।

4– पीठासीन अधिकारी ऐसे मतदाता से तथा उपस्थित लोगों से पूछताछ एवं मतदाता के पास उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उसे यदि यह समाधान हो जाता है कि अमुक मतदाता ही वास्तविक मतदाता है तो निम्न कार्यवाही सुनिश्चित करें:–

क– ऐसे मतदाता अपना वोट ई0वी0एम0 में नहीं देगा।

ख– ऐसे मतदाता को नियम–49 त के अधीन निविदत्त मतपत्र दिये जाने की व्यवस्था की गई है।

ग– टेण्डर वोट के मतदाता का विवरण मतदाता सूची, मतदाता रजिस्टर पर अंकित नहीं किया जाता है।

घ– मतदाता को मतपत्र देने से पहले उसके पीछे पीठासीन अधिकारी स्वयं अपने हॉथ से ''निविदत्त मतपत्र'' लिखें।

च– मतदाता के बाये हॉथ की तर्जनी में अमिट स्याही लगायें।

छ– मतदाता मतपत्र पर अपना वोट ऐरोक्रास सील से अंकित करेगा।

ज – पीठासीन अधिकारी प्रारूप–17 ख में मतदाता का विवरण भरें।

निविदत्त (टेण्डर्ड) मतों की सूची (17ख)

......................निर्वाचन क्षेत्र से .... विधानसभा क्षेत्रों की विधान सभाओं

मतदान केन्द्र का संख्यांक और नाम ....

निर्वाचक नामावली के भाग संख्यांक ....

क्रम संख्यां	निर्वाचक का नाम	निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का क्रम संख्या	उस व्यक्ति का मतदाता रजिस्टर में (प्रारुप 17क) के क्रम संख्यां जिसने निर्वाचन के बदले में पहले ही मतदान कर दिया है	निर्वाचक के ह0 अंगूठे के निशान

तारीख

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

झ– प्रारूप–17 ग जिसे मतपत्र लेखा/रिकार्ड किये गये मतों का लेखा कहाॅ जाता है के भाग–1 की मद संख्या 8 "निविदत्त मतपत्रों की संख्या" शीर्षक में निम्न कालमों में प्रविष्टि अंकित करनी होगी–

मद	क्रम संख्यां	से	..तक
क– प्रयोग के लिए प्राप्त			
ख– निर्वाचकों को जारी किये गये			
ग– अप्रयुक्त और वापिस किये गये			

नोट :– टेण्डर वोट को निर्धारित लिफाफे में रखकर सील्ड करें।

4—पी0डब्लू0डी0 मतदाता (Person with Disability)

(1)—पी0डब्लू0डी0 मतदाताओं के लिए बूथ पर उपलब्ध सुविधाएंः—

1— ऐसे मतदाता के लिए व्हील चेयर या ट्राइसाईकिल, रैम्प, शौचालय की भी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इनकी सहायता के लिए वालियन्टर भी लगाये जाएंगे। मतदाता के साथ उच्च कोटि का व्यवहार किया जाए।

2— पी0डब्लू0डी0 एप के माध्यम से दिव्यांग/आशक्त मतदाता को वाहन पास उचित परिवहन, रैम्प सुविधा, व्हील चेयर, वोटर स्लीप आदि की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

3— उक्त श्रेणी के मतदाताओं के वाहन पार्किंग के लिए बूथ के निकट पार्किंग की व्यवस्था की गई है जिससे वे बूथ तक आसानी से पहुंच जाए।

4— उक्त श्रेणी के मतदाताओं के लिए पृथक लाइन की व्यवस्था रहेंगी। पीठासीन यह सुनिश्चित करें कि ऐसे मतदाताओं को अनावश्यक लाइन में ज्यादा देर न लगना पड़े और इन्हें बूथ के अंदर प्रवेश के लिए प्रथम वरीयता दी जाए।

5— अगर मतदाता बिना किसी के सहारे के बूथ के अंदर नहीं आ सकता है तो उसके साथ आए साथी को प्रवेश दिया जाए।

6— यदि मतदाता बिना साथी के स्वयं मतदान करने/बैलेट यूनिट का बटन दबाने में सक्षम है तो साथी वोटिंग कम्पार्टमेन्ट के अंदर प्रवेश नहीं करेंगा।

(2)–पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान की सुविधा:–

1– आशक्त/दिव्यांगजन मतदाताओं के लिए मा0 आयोग द्वारा पोस्टल वैलेट की सुविधा उनके घर पर ही प्रदान की गई।

2– ऐसे मतदाताओं की बूथवार सूची पृथक से तैयार की गई है।

3– पोस्टल बैलेट हेतु फार्म 12 डी ऐसे मतदाताओं को उपलब्ध कराते हुए उनसे मॉगपत्र लेने के बाद उन्हें पोस्टल बैलेट से मतदान की सुविधा प्रदान की जाएगी।

4– मतदाता सूची में ऐसे मतदाताओं के नाम के बाक्स में पी0बी0 लिख दिया जाएगा। ऐसे मतदाता बूथ पर वोट नहीं डालेंगे। उक्त के साथ ही 80 प्लस, कोविड पाजिटिव एवं आवश्यक सेवाओं के लोगों को भी पोस्टर बैलेट से मतदान की सुविधा प्रदान की गई है। जिन्हें भी पोस्टल वैलेट जारी होगा मतदाता सूची में उनके बाक्स में पी0बी0 लिख दिया जायेगा यानी उसका वोट बूथ पर नहीं पड़ेगा।

(3)–ई0वी0एम0 में ब्रेल साइनेज की सुविधाः–

1– बैलेट यूनिट(बी0यू0) में उम्मीदवार के नीले बटन के दाई ओर ब्रेल में अभ्यर्थियों की क्रम संख्या लिखी हुई है।

2– निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची फाइनल होने के बाद आर0ओ0 के द्वारा दृष्टिहीन संस्थान को उक्त सूची उपलब्ध कराते हुए संस्थान के माध्यम से कृत्रिम मतपत्र शीटों को तैयार कराकर ब्रेल स्टीकर लगाया जाएगा।

3– कृत्रिम मतपत्र शीट की एक–एक प्रति प्रत्येक बूथ पर भेजी जाएंगी।

4– यदि दृष्टिहीन मतदाता ब्रेल में मतपत्र शीट की मदद से मतदान करना चाहता है तो पीठासीन अधिकारी उसे कृत्रिम मतपत्र शीट उपलब्ध करायेगे। जिसकी सहायता से उम्मीदवार का क्रमांक इत्यादि समझकर बी0यू0 पर अपने पसंद के उम्मीदवार का नीला बटन दबा सके।

4—अन्धे / शिथिलांग मतदाताओं को साथी की व्यस्था:—

यदि अन्धत्व या अन्य शारीरिक विकलॉगता के कारण कोई मतदाता, बैलेट यूनिट पर बिना सहायता के मतदान करने में असमर्थ है तो निम्न कार्यवाही करें :—

1— पीठासीन अधिकारी एक घोषणा पत्र भरवाकर ऐसे मतदाता के साथ एक सहायक की अनुमति नियम 49 **N** के अधीन दे सकता है।

2— सहायक की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।

3— किसी व्यक्ति को एक ही दिन में किसी भी मतदान केन्द्र पर एक से अधिक मतदाता के साथी के रूप में कार्य करने के लिए अनुमति नहीं दी जायेंगी।

4— साथी के दाये हॉथ के तर्जनी में अमिट स्याही लगेगा।

5— कोई मतदान कर्मी ऐसे प्रकरणों में स्वयं साथी बनकर मतदान न करें, यह कानूनी दण्डनीय अपराध है।

5— ऐसे व्यक्ति से निम्नवत् घोषणा पत्र भरवायें।

उपबन्ध—12 निम्न प्रकार होगा

''अन्धे या शिथिलांग निर्वाचक के साथी की घोषणा''

मतदान केन्द्र का संख्यांक और नाम.....मैं,....पुत्र श्री....आयु.....वर्ष..का निवासी..........घोषणा करता हूँ कि:—

क— मैंने आज तारीख...........की किसी भी मतदान केन्द्र पर किसी अन्य निर्वाचक के साथी के रूप में कार्य नहीं किया है।

ख— मैं,...की ओर से अपने व्दारा अभिलिखित किये गये मत को गुप्त रखूँगा।

साथी के हस्ताक्षर—

साथी का पूरा पताः—

6— प्रारूप—14—क में ऐसे समस्त मामलों का एक रिकार्ड रखा जायेंगा इस रिकार्ड को एक पैकेट जो नान—स्टेट्यूरी लिफाफे में रखकर जमा किया जायेगा।

दृष्टिबाधित मतदाताओं के मतदान के संबंध में सूचना का प्रारूप

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम–

मतदेय स्थल की संख्या व नाम–

पीठासीन अधिकारी का नाम–

क्रमांक	मतदान करने वाले दृष्टिबाधित मतदाताओं की संख्या	ब्रेल मत पत्र की सहायता से मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या	मतदाताओं की संख्या जिन्होंने ब्रेल मत पत्र के स्थान पर नियम 49एन के तहत मतदान किया	दोनो सुविधाओं का उपयोग करने वाले मतदाताओं की संख्या
1	2	3	4	5

पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर

(5)–महिला मतदाता के संबंध में विशेष ध्यान/सुविधाएं

1– महिला मतदाओं के साथ शिष्टता का व्यवहार किया जाए।

2– महिला मतदाताओं को बूथ में प्रवेश हेतु पृथक लाईन बनाई जाए। इन्हें बूथ के अन्दर प्रवेश में वरीयता दी जाए।

3– अगर महिला की गोद में नवजात शिशु है तो उसको विशेष प्राथमिकता दी जाए और शिशु के साथ महिला को बूथ के अन्दर प्रवेश दिया जाए।

4– सुनिश्चित किया जाए कि मतदान हेतु महिलाओं को काफी समय तक लाइन में खड़ा न होना पड़े।

5– यदि महिला मतदाता घूंघट/पर्दानसीन में हो तथा विशेष स्थिति में यदि उसकी पहचान सुनिश्चित करने में प्रथम मतदान अधिकारी को असुविधा/दिक्कत लगे तो प्रथम मतदान अधिकारी बूथ पर नियुक्त महिला मतदान कार्मिक से उसकी पहचान कराये। मतदाता की पहचान में गोपनीयता, गरिमा और शिष्टता का ध्यान रखा जाए।

6– महिला मतदाताओं के पहचान में उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए।

7– अमिट स्याही निर्धारित स्थान पर बिना हाथ छुए स्टीक के माध्यम से लगाई जाए।

8– रजिस्टर पर महिला मतदाता का अंगूठा निशान उसे स्वयं लगाने दिया जाए। मतदाता का हाथ पकड़ने की आवश्यक नही है।

6–मतदाता के आयु के संबंध में

1– मतदाता के आयु के संबंध में यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है तो निर्धारित प्रारूप पर घोषणा पत्र भरवाकर उसे मतदान देने की अनुमति दी जाए।

2– ऐसे मतदाताओं की सूची अनुलग्नक– 1 में रखी जाए।

7–टेस्ट वोट (परीक्षण मत):–

यदि मतदाता यह शिकायत करता है कि उसने जिसे मत दिया है वीवीपैट पर उसकी पर्ची प्रिन्ट न होकर दूसरे उम्मीदवार की पर्ची प्रिन्ट हुयी है। ऐसी दशा में निम्न प्रक्रिया का पालन किया जायेगा:–

1– मतदाता को 49 एमए के अधीन घोषणा पत्र भरवाकर परीक्षण मत डालने की सुविधा दी जायेगी।

2– पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदाता को स्पष्ट बताया जायेगा कि यदि उसकी बात गलत पायी जाती है तो उसके विरूद्ध आई0पी0सी0 की धारा 177 के तहत छः माह तक का कारावास, 1000रू0 का अर्थदण्ड या दोनो दिया जा सकता है।

3– मतदाता रजिस्टर 17ए में मतदाता की एक नयी इण्ट्री की जाय और अभ्युक्ति के कालम में टेस्ट वोट लिखा जाय।

4– पीठासीन अधिकारी, एजेण्ट के साथ मतदाता को लेकर वोटिंग कम्पार्टमेण्ट में जायेंगे।

5– मतदाता द्वारा पुनः टेस्ट वोट के रूप में अपना मत अंकित करेगा। पीठासीन अधिकारी एजेण्ट एवं मतदाता वी0वी0पैट के स्क्रीन पर पर्ची का अवलोकन करेंगे।

6– यदि मतदाता का कथन सही है तो तत्काल मतदान रोकते हुये पीठासीन अधिकारी आर0ओ0 को वस्तुस्थिति से अवगत करायेंगे। आर0ओ0 के निर्णयानुसार अग्रेतर कार्यवाही होगी।

7– यदि मतदाता का कथन असत्य है तो वोटिंग की कार्यवाही जारी रहेगी।

8– मत पत्र लेखा 17 सी के कालम 5 में टेस्ट वोट का विवरण दर्ज करना होगा। जिसमें परीक्षण मत की कुल संख्या तथा मतदाता रजिस्टर प्रारूप 17 ए में मतदाता की क्रम संख्या के अंकन के साथ–साथ जिस अभ्यर्थी के पक्ष में मत डाले गयें है उस अभ्यर्थी का नाम एवं मतों की संख्या अंकित की जायेगी।

अनुलग्नक–15

(अध्याय 20, पैरा 20.3.6)

नियम 49 MA के तहत घोषणा

सामान्य/उप निर्वाचन...

संसदीय/विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम..

मतदान केन्द्र संख्या एवं नाम..

मतदाता द्वारा घोषणा पत्र का प्रारूप

निर्वाचन संचालन नियम, 1961 के नियम 49 MA के तहत

1– निर्वाचन संचालन नियम 1961 के नियम 49 MA के उपनियम (1) के तहत सत्यनिष्ठा पूर्वक घोषणा एवं पुष्टि करता/करती हूँ कि बैलेट यूनिट से जुड़े प्रिंटर द्वारा उत्पन्न पेपर स्लिप में दर्शाया गया उम्मीदवार का नाम और/या चिन्ह उस उम्मीदवार से भिन्न है, जिसके लिए मैंने संबंधित नीला बटन दबाकर अपना मतदान किया था। मेरा यह आरोप सत्य एवं प्रामाणिक है, यह सिद्ध करने के लिए तैयार हूँ।

2– मुझे ज्ञात है कि IPC पीनल प्रावधान की धाना 177 के तहत दण्डित होने, जिसमें कारावास जिसकी अवधि छः माह तक बढ़ायी जा सकती है, अथवा अर्थदण्ड जिसकी राशि रूपए 1000 तक बढ़ायी जा सकती है, अथवा दोनों के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी, यदि उक्त बिन्दु (1) में मेरे द्वारा की गई घोषणा जो पीठासीन अधिकारी नियुक्ति **RP Act, 1951** की धारा 26 के तहत गलत पायी जाती है।

मतदाता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान–

मतदाता का नाम	:–..
पिता/माता/पति का नाम	:–..
मतदाता सूची की भाग संख्या	:–..
उक्त भाग में मतदाता का क्रमांक	:–..
मतदाता रजिस्टर में क्रमांक (फार्म 17A)	:–..

दिनांक :–.....................................

प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित मतदाता द्वारा उक्त घोषणा मेरे समक्ष की गई है।

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांक ....

8–''49 ओ''के तहत मतदाता द्वारा मत न दिये जाने का निर्णय करने पर निर्धारित प्रकिया का पालन करना।

1– यदि कोई मतदाता जिसको प्रथम मतदान अधिकारी के व्दारा मतदाता सूची में चिन्हित कर लिया गया तथा मतदाता रजिस्टर 17 क पर विवरण अंकित होने, उसपर हस्ताक्षर/अँगूठा का निशान लगाने के बाद अपना मत रिकार्ड नहीं करने का विनिश्चय करता है तो नियम ''49 ओ'' के तहत उसे अपना मत रिकार्ड करने के लिए बाध्य या दबाव नहीं डाला जायेगा।

2– ऐसी स्थिति में मतदाता रजिस्टर के कालम संख्या–5 में इस आशय की टिप्पणी अंकित की जाएं '' मतदाता के व्दारा मत रिकार्ड नहीं करने का विनिश्चय किया गया है'' उक्त के नीचे पीठासीन अधिकारी अपना पूरा हस्ताक्षर करते हुये मतदाता का भी हस्ताक्षर/अँगूठा का निशान उस टिप्पणी के नीचे प्राप्त करें।

9–''49 एम''के तहत मतदाता द्वारा मतदान प्रक्रिया का पालन न करना/गोपनीयता भंग करने पर निर्धारित प्रक्रिया का पालनः–

1– मतदाता रजिस्टर पर प्रविष्टियां भरने के बाद यदि कोई निर्वाचक पीठासीन अधिकारी की चेतावनी के बावजूद भी मतदान की गोपनीयता भंग करता है या कोई ऐसा कृत्य करता है जिससे मतदान की गोपनीयता/सुचिता प्रभावित होती है तो ऐसे निर्वाचक को नियम 49 एम के अधीन मत देने के लिए अनुज्ञा नहीं किया जायेगा।

2– यदि उसे मतदाता पर्ची भी जारी हो गई हो तो भी उससे पर्ची वापस लेते हुए रद्द कर दी जाएं और मत रिकार्ड की अनुमति न दी जाए।

3– मतदाता रजिस्टर के कालम संख्या–5 में पीठासीन अधिकारी को इस आशय का टिप्पणी अंकित करनी होगी '' मतदाता व्दारा मतदान प्रक्रिया को भंग किया गया'' पीठासीन अधिकारी उस टिप्पणी के नीचे अपना पूरा हस्ताक्षर करेंगा।

10– प्राक्सी मतदाता :–

1– कुछ सेवा मतदाताओं की श्रेणियों को उनके द्वारा नियुक्त प्राक्सी के माध्यम से मतदान करने की सुविधा प्रदान की गयी है।

2– सर्विस मतदाता जिन्होंने प्राक्सी मतदाता नियुक्त किये हैं का वर्गीकरण ''वर्गीकृत प्राक्सी मतदाता ''के रूप में**(CSVs)** किया गया है।

3– रिटर्निंग आफिसर द्वारा वर्गीकृत सेवा मतदाताओं की सूची तैयार की जाती है। यह सूची निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति का भाग माना जाता है।

4– ऐसे वर्गीकृत सर्विस मतदाता के स्थान पर नियुक्त प्राक्सी के द्वारा बूथ पर उपस्थित होकर सामान्य मतदाता की तरह मतदान किया जाता है।

5– प्राक्सी मतदाओं के संबंधम में मतदाता रजिस्टर 17 क के द्वितीय कालम में दर्ज निर्वाचक का क्रमांक आपके मतदान केन्द्र पर वर्गीकृत सेवा निर्वाचक की उपसूची में दिये गये प्राक्सी मतदाता के संबंध में दिया गया क्रमांक होगा।

6– निर्वाचक नामावली की मुख्य चिन्हित प्रति में क्रमांक का अन्तर मालूम करने हेतु शब्द ''पीवी'' (प्राक्सी मतदाता) के लिए दर्ज कर दिया जाए।

7– प्राक्सी मतदाता के बायें हाथ की मध्यमा अंगुली में अमिट स्याही लगती है।

11– मतदान के दौरान ई0वी0एम0 से आने वाली अन्य स्थितियां :–

1– यदि सी0यू0 का बैलेट बटन दबा दिया गया है तो बीजी और रेडी लैम्प जलेगा। इसके बाद अन्तिम मतदाता द्वारा मतदान करने का निर्णय नही लिया जाता है तो ऐसी दशा में सी0यू0 का पॉवर स्वीच आफ करके सी0यू0 तथा बी0यू0 के केबिल को डिसकनेक्ट कर दें। फिर सी0यू0 का पावर स्वीच ऑन करने पर बीजी एवं रेडी लैम्प जलना बन्द हो जायेगा और उसके बाद क्लोज बटन कार्य करेगा।

2– मतदान के दौरान बीच में ऐसी स्थिति आने पर अगले मतदाता को वोट देने की अनुमति दी जाये।

3– यदि वीवीपैट के स्क्रीन पर लो बैट्री के कारण कोई पर्ची लटकी है या कट कर ड्राप बाक्स में नही गिरती है तो ऐसी दशा में वीवीपैट बदलते हुए नये वीवीपैट का प्रयोग किया जाएगा तथा पीठासीन अधिकारी की डायारी में – 1– घटना की तारीख व समय 2– वीवीपैट को बदलने के बाद पहला वोट डालने वाले निर्वाचक का नाम, निर्वाचक नामावली में उसकी भाग संख्या एवं सरल क्रमांक 3– वीवीपैट बदलने के बाद जिस निर्वाचक की पर्ची लटकी थी उसने वोट दिया या बिना वोट दिये ही चला गया। 4– घटना के पूर्व कुल पोल्ड वोटों की संख्या।

12– मतदान के दौरान बी0यू0, सी0यू0 और वीवीपैट में खराबी आने पर की जाने वाली कार्यवाही:–

1– मॉकपोल के समय पर।

2– वास्तविक मतदान के समय पर।

मॉकपोल के समय

क0सं0	मॉकपोल के दौरान आने वाली स्थिति में	की जाने वाली कार्यवाही	मॉकपोल के संबंध में अपनायी जाने वाली प्रकिया
1	मॉक पोल के समय बी0यू0 या सी0यू0 या बी0यू0 और सी0यू0, वीवीपैट खराब होने पर	जो भी यूनिट खराब होगी, केवल वही यूनिट बदली जाएंगी।	मॉकपोल होगा। कम से कम 50 वोट डलवाना अनिवार्य है। प्रत्येक नीले बटन को 1–1 बार दबाना आवश्यक है।

मतदान के दौरान

क0 सं0	मतदान के दौरान आने वाली स्थिति में	की जाने वाली कार्यवाही	मॉकपोल के संबंध में अपनायी जाने वाली प्रकिया
1	बी0यू0 खराब होने पर	पूरा सेट अर्थात बी0यू0, सी0यू0 एवं वीवीपैट बदला जायेगा।	मॉकपोल होगा।ऐसी स्थिति में सभी उम्मीदवारों के नीले बटन को 1–1 दबाना होना। शेष प्रकिया मॉकपोल के संबंध में पूर्वत रहेगा।
2	सी0यू0 खराब होने पर	पूरा सेट अर्थात बी0यू0, सी0यू0 एवं वीवीपैट बदला जायेगा।	मॉकपोल होगा।ऐसी स्थिति में सभी उम्मीदवारों के नीले बटन को 1–1 दबाना होना। शेष प्रकिया मॉकपोल के संबंध में पूर्वत रहेगा।
3	बी0यू0 और सी0यू0 दोनों खराब होने पर	पूरा सेट अर्थात बी0यू0, सी0यू0 एवं वीवीपैट बदला जायेगा।	मॉकपोल होगा।ऐसी स्थिति में सभी उम्मीदवारों के नीले बटन को 1–1 दबाना होना। शेष प्रकिया मॉकपोल के संबंध में पूर्वत रहेगा।
4	वीवीपैट खराब होने पर	केवल वीवीपैट बदला जायेगा।	ऐसी स्थिति में मॉकपोल नहीं होगा।

ईवीएम, वीवीपैट एवं ईवीएम व वीवीपैट की बैट्री बदलने पर की जाने वाली कार्यवाही

(1)– उपरोक्त स्थिति आने पर सी0यू0 का पॉवर स्वीच ऑफ करके ही कार्यवाही की जायेगी।

(2)– मॉकपोल एवं वास्तविक मतदान के समय सी0यू0 की बैट्री बदलने की स्थिति में पीठासीन अधिकारी को भाग–2 भरना अनिवार्य है। पीठासीन अधिकारी सेक्टर मजिस्ट्रेट को फोन करके सूचना देगा और सेक्टर मजिस्ट्रेट बैट्री लेकर बूथ पर आयेंगे। सी0यू0 के बैट्री सेक्शन के एड्रेस टैग को हटाकर नया बैट्री लगाया जाएगा और नया एड्रेस टैग लगाकर बैट्री भाग को पीठासीन अधिकारी एजेण्ट एवं सेक्टर मजि0 की उपस्थिति में सील्ड किया जाएगा।

(3)– मतदान समाप्त होने पर सी0यू0 का क्लोज बटन दबाये जाने का प्रमाण–पत्र भाग–3 पीठासीन अधिकारी को भरना अनिवार्य है।

(4)– मॉकपोल के दौरान ई0वी0एम0 एवं वीवीपैट बदलने की स्थिति में भाग–4 पीठासीन अधिकारी को भरकर सेक्टर मजि0 को उपलब्ध कराना अनिवार्य है। सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा ई0वी0एम0 एवं वी0वी0पैट उपलब्ध कराया जाएगा।

(5)– मतदान के दौरान ई0वी0एम0 एवं वीवीपैट बदलने की स्थिति में भाग–5 पीठासीन अधिकारी को भरकर सेक्टर मजि0 को उपलब्ध कराना अनिवार्य है। मजिस्ट्रेट द्वारा ई0वी0एम0 एवं वी0वी0पैट उपलब्ध कराया जाएगा।

विशेष– बिन्दु संख्या 4 व 5 की कार्यवाही सेक्टर सेक्टर मजि0 एवं एजेण्ट की उपस्थिति में की जायेगी।

(6)– मूल मॉकपोल (पहले प्रयोग मे लायी गयी ई0वी0एम0) प्रमाण–पत्र में ''मूल कन्ट्रोल, यूनिट, बैलेट यूनिट व वीवीपैट बदली गई। नये कन्ट्रोल यूनिट व बैलेट यूनिट का प्रयोग लाने के पूर्व मॉक पोल किया गया तथा मशीन बदलने का समय.............है'' का उल्लेख करना होगा। नया मॉकपोल प्रमाण पत्र भरना अनिवार्य है।

7– पीठासीन अधिकारी की डायरी में नई प्रयोग की गई कन्ट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट एवं वीवीपैट नंबर, समय तथा तिथि का उल्लेख करना अनिवार्य होगा।

8– ई0वी0एम0 बदलने पर मतपत्र लेखा–17ग एक ही बनेगा जिस पर दोनों मशीनों का विवरण यथा बी0यू0, सी0यू0 का नंबर, कुल पड़े वोटों की संख्या, प्रयुक्त ग्रीन पेपर सील का नंबर पृथक–पृथक दर्ज करना होगा।

9– पुरानी ई0वी0एम0 नियमानुसार कैरीकेस में रखकर सील्ड की जायेगी। और नये ई0वी0एम0 के साथ ही जमा की जायेगी।

विशेष :– यदि विशेष कारणों से पीठासीन अधिकारी को वोटिंग कम्पार्टमेंट में जाना पड़े तो वह अपने साथ उपस्थित पोलिंग एजेण्ट को भी साथ में ले जाकर ई0वी0एम0 की चेकिंग कर सकता है।

वी0यू0, सी0यू0 एवं वीवीपैट के संबंध में सी0यू0 के डिस्प्ले स्क्रीन पर प्रदर्शित **ERROR** और उसके निदान की प्रकिया:–

क्र0 सं0	सी0यू0 के डिस्प्ले स्क्रीन पर प्रदर्शित ERROR	**ERROR** का आशय	पीठासीन अधिकारी स्तर से अपेक्षित कार्यवाही
		सी0यू0 में दर्शित सी0यू0 की इरर	
1	**Power on led not ok**	सी0यू0 ऑन करने पर ग्रीन एल0ई0डी0 नही जल रही है।	पीठासीन अधिकारी तत्काल सेकटर मजिस्ट्रेट को सूचित करें। सेक्टर मजिस्ट्रेट संबंधित इंजीनियर के साथ मौके पर उपस्थित होकर इरर चेक करते हुए प्रतिस्थापन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करेंगे।
2	**Busy Led not ok**	सी0यू0 का **Busy** की रेड एल0ई0डी0 नही जल रही है।	
3	**Digit Not Ok**	सी0यू0 के डिस्प्ले पर प्रदर्शित अंक ठीक ढंग से डिस्प्ले नही हो रहा है।	
4	**Buzzer Not OK**	सी0यू0 के बीप की ध्वनि ठीक ढंग से सुनाई नही पड़ रही है।	
5	**KEY/ BUTTON Not Ok**	सी0यू0 में उपलब्ध बटन ठीक ढंग से कार्य नही कर रहा है।	

<table>
<tr><td>6</td><td>Change Battery</td><td>सी0यू0 की बैटरी LOW है।</td><td>पीठासीन अधिकारी तत्काल सेक्टर मजिस्ट्रेट को सूचित करें। सेक्टर मजिस्ट्रेट बैट्री लेकर आयेंगे। प्रारूप–2 भरकर बैट्री चेंज करेंगे।</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Clock Error</td><td>Real time clock सी0यू0 में प्रदर्शित समय सही नही है।</td><td rowspan="2">पीठासीन अधिकारी द्वारा सेक्टर मजिस्ट्रेट को सूचित करते हुए सी0यू0 रिप्लेस की जायेगी तथा निर्धारित प्रारूप भाग–4 या 5 में सूचना भरी जायेगी।</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Inoperative</td><td>सी0यू0 अक्रियाशील है।</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Invaild</td><td>पीठासीन अधिकारी द्वारा मॉकपोल के दौरान C-R-C सही क्रम में नही किया गया है।</td><td>C-R-C (Close-Result-Clear)करके आगे प्रक्रिया बढ़ायेंगे।</td></tr>
</table>

सी0यू0 में प्रदर्शित बीयू की इरर

1	**Led not ok (Green Led)**	बी0यू0 की ग्रीन एल0ई0डी0 नही जल रही है।	पीठासीन अधिकारी तत्काल सेकटर मजिस्ट्रेट को सूचित करें। सेक्टर मजिस्ट्रेट संबंधित इंजीनियर के साथ मौके पर उपस्थित होकर इरर चेक करते हुए प्रतिस्थापन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करेंगे।
2	**KEY/ BUTTON Not Ok**	बी0यू0 का बटन ठीक ढंग से कार्य नही कर रहा है।	
3	**BU Not Responding**	बी0यू0 का वीवीपैट से अथवा वीवीपैट का सी0यू0 से केबिल कनेक्शन ठीक से नही जुड़ा है। 2–थमव्हिल के स्वीच की पोजिशन सही से सेट नही की गयी है।	पीठासीन अधिकारी केवल कनेक्शन को चेक कर पुनः लगाया जायेगा। 2– यदि थमव्हिल स्वीच पर अंक सही सेट नही है तो पीठासीन द्वारा सेक्टर मजिस्ट्रेट को सूचित किया जायेगा। सेक्टर मजिस्ट्रेट मौके पर उपस्थित होकर प्रतिस्थापन की कार्यवाही करायेंगे।
4	**BU Not connected**	बी0यू0 का वीवीपैट से कनेक्ष्शन सही से नही किया गया है।	पीठासीन अधिकारी द्वारा केबल कनेक्शन को चेक कर पुनः लगाया जायेगा।
5	**Pressed Error**	बी0यू0 में कोई केन्डिडेट बटन (नीला) दबा हुआ है।	बी0यू0 के सभी कैन्डिडेट बटन को चेक क लें, यदि पुनः इरर आ रही हो तो सेक्टर मजिस्ट्रेट को सूचित करें। उनकी उपस्थित में समस्या का समाधान/ प्रतिस्थापन की कार्यवाही की जायेगी।

सी0यू0 में दर्शित वीवीपैट के ईरर

क्र0सं0	संकेतांक	Error	कारण / आशय	पीठासीन द्वारा कृत कार्यवाही
1		**Power On Led Not Ok**	वीवीपैट की ग्रीन एल0ई0डी0 नही जल रही है।	पीठासीन अधिकारी तत्काल सेक्टर मजिस्ट्रेट को सूचित करें। सेक्टर मजिस्ट्रेट फील्ड में तैनात संबंधित इंजीनियर के साथ मौके पर उपस्थित होकर समस्या का समाधान / प्रतिस्थापन की कार्यवाही अपनी देख–रेख में करें।
2	2.1	**Abnormal head temperature**	उक्त इरर वीवीपैट के विभिन्न संेसर से संबंधित है। वीवीपैट किसी भी स्थिति में तेज बल्ब / लाईट के सीधे नीचे अथवा सीधे सूर्य के प्रकाश के नीचे न रखें।	
3	2.6	**Cutter Error**		
4	2.7	**Fall Error**		
5	2.8	**Printer Memory Error**		
6	2.9	**Contrast Error**		
7	2.10	**Lenth Error**		
8	2.12	**Platen open error**		
9	2.13	**No paper error**		
10	2.14	**Deplete error**		

सी0यू0 में दर्शित वीवीपैट के ईरर			
क्र0सं0	**Error**	कारण/आशय	पीठासीन द्वारा कृत कार्यवाही
11	**change Battry**	वीवीपैट की बैट्री **LOW** है।	पीठासीन अधिकारी सी0यू0 का पावर स्वीच ऑ करके नई बैट्री लगाये।
12	**VVPAIT not Responding**	पेपररोल ब्लेक नोब वर्किंग पोजिशन में नहीं है। यानी वर्टिकल नहीं है।	पीठासीन अधिकारी सी0यू0 का स्वीच ऑफ करके पेपररोल ब्लेक नोब को वर्किंग पोजिशन यानी वर्टिकल करें। फिर सी0यू0 आन करें। यदि उक्त के बाद भी इरर दूर नही होता है तो सेक्टर मजिस्ट्रेट को सूचित करें। सेक्टर मजिस्ट्रेट मौके पर उपस्थित होकर आवश्यक कार्यवाही/प्रतिस्थापन करायें।

नोट :– मॉकपोल या मतदान के दौरान ई0वी0एम0 प्रतिस्थापन एवं सी0यू0 में बैट्री बदलने की कार्यवाही सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं एजेण्ट की उपस्थिति में पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र भरकर की जायेगी। वीवीपैट की बैट्री पीठासीन अधिकारी एजेण्ट की उपस्थिति में बदलेंगे।

2– यदि ई0वी0एम0 बदलने की स्थिति आती है तो सी0यू0 पर प्रदर्शित समय एवं इरर को अनिवार्य रूप से नोट करते हुउ निर्धारित प्रारूप में इसका स्पष्ट उल्लेख करना अनिवार्य है।

7वॉ चरण– मतदान समाप्त होनाः–

1– मतदान समाप्त होने के बाद टोटल बटन दबाकर देख ले कि कुल कितने वोट पड़े है उसका मिलान मतदाता रजिस्टर 17क से करें। टोटल वोट की संख्या नोट करें।

2– क्लोज बटन दबाने के उपरान्त काले रंग के फ्लेप को लगा दे। सी0यू0 का पावर स्वीच ऑफ करें। क्लोज बटन दबाने का प्रमाण–पत्र भाग–3 भरना। क्लोज बटन दबाने पर सी0यू0 के डिस्प्ले में प्रदर्शित दिनांक व समय पीठासीन अधिकारी की डायरी में अनिवार्य रूप से लिखा जायेगा।

3– पीठासीन अधिकारी मतदान के अंत की घोषणा करते हुये घोषणा भाग–3 भरें।

4– मतपत्र लेखा 17 ग तैयार करना। एक प्रति सीधे काउण्टर पर जमा होगा और एक प्रति कन्ट्रोल यूनिट कैरीकेस के हैण्डिल में बांध दें।

5– बी0यू0 के केबिल को वी0वीपैट से तथा वी0वी0पैट की केबिल को सी0यू0 से पृथक करें। वीवीपैट की बैटरी को एजेण्ट की उपस्थिति में निकालना अनिवार्य है। पेपररोल ब्लेक नोब को हारिजेन्टल मोड यानी ट्रांसपोर्टशन मोड में कर दें।

6– पीठासीन अधिकारी घोषणा भाग–4 को भरें तथा उसपर एजेण्ट का हस्ताक्षर प्राप्त करें।

7– बी0यू0, सी0यू0 एवं वीवीपैट को कैरीकेस में रखना।

8– बी0यू0 एवं सी0यू0 के कैरीकेस में 3 जगहों पर एड्रेस टैग के माध्यम से सील्ड करना।

9– वीवीपैट के कैरीकेस में 4 जगहों पर एड्रेस टैग के माध्यम से सील्ड करना।

10– उपस्थित एजेण्ट को मतपत्र लेखा–17ग की एक–एक अनुप्रमाणित प्रति उपलब्ध कराना।

मतदान से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रारूप :–

1– मॉकपोल प्रमाण पत्र भाग–1

2– पीठासीन अधिकारी द्वारा सी0यू0 का बैट्री बदलने पर भाग –2

3 – मतदान समाप्त होने पर सी0यू0 का क्लोज बटन दबाये जाने का प्रमाण–पत्र भाग–3

4– मॉकपोल के दौरान ई0वी0एम0 एवं वीवीपैट बदलने की स्थिति में भाग–4 भरकर सेक्टर मजि0 को उपलब्ध कराना अनिवार्य है।

5– मतदान के दौरान ई0वी0एम0 एवं वीवीपैट बदलने की स्थिति में भाग–5 भरकर सेक्टर मजि0 को उपलब्ध कराना अनिवार्य है।

6– पीठासीन अधिकारी की डायरी।

7– मतपत्र लेखा–17 सी

8– 19 बिन्दुओं की रिपोर्ट।

9– 16 बिन्दुओं की रिपोर्ट।

10– पी0एस0 –05

11– पीठासीन अधिकारी की घोषणा।

पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट

भाग–1 मॉक पोल सर्टीफिकेट

निर्वाचक का नाम...

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र/ऐसेम्बली सेगमेंट की संख्या और नाम.......................

लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नामः..

मतदेय स्थल की संख्या :...

(क) मॉक पोल का संचालन और मॉक पोल डाटा का सत्यापन।

क. सं.	प्रत्याशी का नाम (नोटा सहित)	मॉक पोल में डाले गये मतों की संख्या	रिजल्ट की जांच करने पर सी0यू0 में प्रदर्शित मतों की संख्या	वी.वी.पैट मुद्रित पेपर पर्चियां की प्रत्याशीवार संख्या	मॉक पोल के बाद सी0यू0 में प्रदर्शित रिजल्ट में प्रत्याशीवार प्राप्त मत तथा वी.वी.पैट के ड्राप बाक्स से निकली प्रत्याशीवार पर्चियों की संख्या (कालम–4 व 5) बराबर है (हां या नही)	पार्टी /निर्दलीय के संक्षिप्त नाम के साथ पोलिंग एजेंटों के हस्ताक्षर
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1						
2						
3						
	NOTA					
	TOTAL					

(ख) मॉकपोल डेटा को क्लीयर करने के लिए सी.यू. का क्लीयर बटन दबाया गया है (हां/नहीं) यदि हां तो इस वाक्य को निम्न सीान में स्याही से लिखें :–

....

(ग) मॉकपोल के बाद वी.वी.पैट के ड्राप बाक्स से सभी पर्चियां निकाल ली गयी है (हां/नही)

(घ) वी.वी.पैट के ड्राप बाक्स से सभी पर्चियां निकालने के बाद वी.वी.पैट का खाली ड्राप बाक्स सभी पोलिंग एजेंटों को दिखाया गया (हां/नही)।

(ड.) वास्तविक मतदान से पहले सुनिश्चित करें कि वी.वी.पैट ड्राप बाक्स में कोई मुद्रित पेपर पर्ची नही है और वी.वी.पैट का खाली ड्राप बाक्स सभी पोलिंग एजेटों को दिखाया गया है (हां/नही)।

(च) पोलिंग एजेंटों को कुल वोट ''0'' दिखाने के लिए कन्ट्रोल यूनिट पर **TOTAL** बटन दबाया गया है (हां/नही)।

(छ) मॉक पोल के बाद वी.वी.पैट ड्राप बाक्स से एकत्र प्रत्येक पर्ची पर 'मॉक पोल स्लिप' की मोहर लागकर सभी पर्चियां काले लिफाफे/बायोडिग्रवेल अपारदर्शी प्लास्टिक पाउच में सील किया गया है तथा पुनः काला लिफाफा/अपारदर्शी प्लास्टिक पाउच प्लास्टिक बाक्स में पिंक पेपर सील से सील कर दिया गया है (हां/नहीं)।

(ज) निम्न की उपस्थिति/साक्ष्य में मॉक पोल किया गया तथा यह प्रमाणित किया गया है कि मॉक पोल के मतों की सी.यू. के रिजल्ट तथा वी0वी0पैट पर्चियों से तुलना की गयी है जो सही पायी गयी। मॉकपोल के बाद सी0यू0 से मॉकपोल में पड़े मतों को क्लीयर कर दिया गया है :–

क्र.सं.	पेलिंग एजेंट का नाम	पार्टी का नाम	उम्मीदवार का नाम	पेलिंग एजेंटों के हस्ताक्षर

(झ) सी.यू. पर प्रदर्शित समय भारतीय मानक समय (**IST**) से ....मिनट कम/अधिक है (यदि कोई हो तो)

(ञ) माइक्रो आब्जर्वर के हस्ताक्षर (यदि मतदेय स्थल पर तैनात है)

(पीठासीन अधिकारी का नाम व हस्ताक्षर)

(ट) एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि वास्तविक मतदान शुरू होने से पहले सभी मतदान अधिकारियों की उपस्थिति में यह सुनिश्चित करने के लिये सी.यू. में कुल वोट ''0'' है सी.यू. का **TOTAL** बटन दबाया गया है। तद्नुसार अपने मंतव्य पर ''टिक'' पर निशान लगाये।

(1) सी0यू0 में कुल वोट '' 0'' है।

अथवा

(2) सी0यू0 में कुल वोट ''0'' से अधिक है (मतलब मॉकपोल वोट क्लीयर नही हुए है) इसलिए मॉकपोल डेटा को क्लीयर करें।

(पीठासीन अधिकारी का नाम व हस्ताक्षर)

निम्नलिखित लोगों ने इस प्रक्रिया को देखा और प्रमाणित किया कि वास्तविक मतदान शुरू होने से पहले सी.यू. से मॉक पोल का डाटा क्लीयर कर दिया गया है और वी.वी.पैट पर्चियों को वी.वी.पैट ड्राप बाक्स से निकाल लिया है :–

क.सं..	मतदान अधिकारी का नाम	हस्ताक्षर

पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट

भाग–2 सी.यू. में पावर पैक रिप्लेसमेन्ट

(यथास्थिति मॉकपोल, मतदानके दौरान अथवा मतदान पूरा होने के बाद भरा जाना है)

निर्वाचक का नाम...

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र/ऐसेम्बली सेगमेंट की संख्या और नाम.....................

लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम:...

मतदेय स्थल की संख्या :...

(क) मॉक पोल/वास्तविक पोल के दौरान सी.यू. के पावर पैक बैटरी को बदलने का विवरण (जो लागू न हो उसे काट दे)

1. सी.यू. की यूनिक आई.डी..

2. सी.यू. के पावर पैक के बदले जाने का कारण..
   ....

3. सी.यू. के पावर पैक को बदलने के लिए पीठासीन अधिकारी द्वारा काटे गये पुराने एड्रेस टैग की यूनिक आई.डी..

4. सी.यू. के बैटरी सेक्शन को सील करने के लिए पीठासीन अधिकारी द्वारा इस्तेमाल किये गये नये एड्रेस टैग की यूनिक आई.डी..................................

(ख) निम्नलिखित पोलिंग एजेंटों के गवाह के रूप में सी.यू. के पावर पैक के रिप्लेसमेन्ट को देखा है :–

क.सं	पेलिंग एजेट का नाम	पार्टी का नाम	उम्मीदवार का नाम	पेलिंग एजेंट के हस्ताक्षर

यदि एक से ज्यादा रिप्लेसमेन्ट होते हैं तो उपरोक्त जानकारी को इसी तरह दोहराया जायेगा।

पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर

सेक्टर आफिसर का हस्ताक्षर

पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट

भाग–3 मतदान पूरा होने के बाद क्लोज बटन का दबाना

(मॉकपोल, मतदान के दौरान और मामले/स्थिति के आधार पर मतदान पूरा होने के बाद भरा जाना है)

निर्वाचक का नाम...

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र/ऐसेम्बली सेगमेंट की संख्या और नाम.......................

लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम:...

मतदेय स्थल की संख्या :...

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैने मतदान की समाप्ति पर निम्नलिखित की उपस्थित में सी.यू. के '' क्लोज बटन'' को दबाया है :–

क्र.सं.	मतदान अधिकारी का नाम व पदनाम	हस्ताक्षर

क्र. सं.	पेलिंग एजेंट का नाम	पार्टी का नाम / निर्दलीय	उम्मीदवार का नाम	पोलिंग एजेंट के हस्ताक्षर

(पीठासीन अधिकारी का नाम व हस्ताक्षर)

पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट

भाग–4 ई.वी.एम., वी.वी.पैट का रिप्लेसमेन्ट

(मॉकपोल, मतदान के दौरान यदि कोई रिप्लेसमेन्ट हो तो भरा जाये)

निर्वाचक का नाम...

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र/ऐसेम्बली सेगमेंट की संख्या और नाम.......................

लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम:......................................

मतदेय स्थल की संख्या :...

1– (क) इस्तेमाल किये गये इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन और वी.वी.पैट का विवरण (बी.यू. (बैलेट यूनिट) सी.यू. (कन्ट्रोल यूनिट) और वी.वी.पैट(वोटर वेरीफायरेबल पेपर आडिट ट्रेल)

क.सं	विवरण	बी.यू.	सी.यू.	वी.वी.पैट	रिप्लेसमेंट के मामले में सेक्टर अधिकारी के हस्ताक्षर
1	पोलिंग पार्टी की रवानगी के समय दी गई ई.वी.एम./ वी.वी.पैट की यूनिक आई.डी.				
2	(क) मॉकपोल के दौरान जो यूनिट काम नही कर रहें हैं उसे (√) टिक करें।				
	(ख) कार्य न करने का कारण (सी.यू. में प्रदर्शित एरर/कोड का उल्लेख करें)				
3	मॉकपोल के दौरान रिप्लेसमेंट के बाद दी गई ई.वी.एम./ वी.वी.पैट की यूनिक आई.डी.				

(ख) निम्नलिखित पोलिंग एजेण्टों ने रिप्लेसमेंट प्रक्रिया को गवाह के रूप में देखा है :–

क.सं	पेलिंग एजेट का नाम	पार्टी का नाम	उम्मीदवार का नाम	पेलिंग एजेंट के हस्ताक्षर

(पीठासीन अधिकारी का नाम व हस्ताक्षर)

(सेक्टर अधिकारी का हस्ताक्षर)

पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट

भाग–5 ई.वी.एम., वी.वी.पैट का रिप्लेसमेन्ट

(यथास्थिति, मतदान के दौरान और मतदान पूरा होने के बाद भरा जाना)

निर्वाचक का नाम...

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र/ऐसेम्बली सेगमेंट की संख्या और नाम......................

लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम:.......................................

मतदेय स्थल की संख्या :...

(क) वास्तविक मतदान प्रक्रिया के दौरान ई.वी.एम. व वी.वी.पैट को बदलना

S.No	Particulars	BU	CU	VVPAT
1	(a) वास्तविक मतदान के दौरान खराब पायी गयी यूनिट की यूनिक आई.डी.			
	(b) संबंधित यूनिट में खराबी पाये जाने का समय			
	(c) संबंधित यूनिट की खराबी के समय सी.यू. में दर्ज मतों की संख्या			
	(d) कार्य न करने का कारण (सी.यू. में दर्शित एरर/कोड का उल्लेख करें)			
	(e) बीप की आवाज सुनाई दी	Yes/No		
	(f) रिप्लेसमेंट के रूप में उपलब्ध करायी गयी नये यूनिट की यूनिक आई.डी.			
	(g) दोबारा मतदान शुरू होने का समय			
2	टिप्पणी यदि कोई हो			

(ख) निम्नलिखित पोलिंग एजेंट वास्तविक मतदान के दौरान रिप्लेसमेंट प्रक्रिया के समय गवाह/साक्षी के रूप में उपस्थित थे–

क.सं	पेलिंग एजेट का नाम	पार्टी का नाम/निर्दलीय	उम्मीदवार का नाम	पेलिंग एजेंट के हस्ताक्षर

यदि एक से ज्यादा रिप्लेसमेन्ट होते हैं तो उपरोक्त जानकारी को इसी प्रारूप पर पुनः भरे।

पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर

सेक्टर आफिसर का हस्ताक्षर

6– पीठासीन अधिकारी की डायरी :–

1– प्रारुप (उपबंध 14) में पीठासीन अधिकारी की डायरी भरी जाती है।

2– यह डायरी मतदान मशीन के साथ जमा की जाती है।

3– यह डायरी बहुत महत्वपूर्ण होती है इस डायरी को कई स्तरों पर चेक करने के उपरान्त ही जमा होती है। मा0 प्रेक्षक महोदय भी इस डायरी को चेक कर सकते है अतः डायरी स्वच्छ अक्षरों में भरा जाएं।

4– प्रत्येक बिन्दु/ कालम की प्रविष्टियॉ स्पष्ट होनी चाहिए।

5– जिस बिन्दु की सूचना जिस समय भरनी निर्धारित है उसी समय भरें।

पीठासीन अधिकारी की डायरी

1. निर्वाचन क्षेत्र का नाम (स्पष्ट अक्षरों में) :

2. मतदान की तारीख :

3. मतदान केन्द्र की संख्या :

मतदान केन्द्र निम्नलिखित में से कहां स्थित है–

(i)- शासकीय या अर्द्ध–शासकीय भवन :

(ii)- निजी भवन :

(iii)- अस्थायी संरचना :

4. स्थानीय रुप से भर्ती किये गये मतदान अधिकारियों की संख्या, यदि कोई हो :

5. सम्यक् रुप से नियुक्त मतदान अधिकारी की अनुपस्थिति में नियुक्त मतदान अधिकारी, यदि कोई हो, और ऐसी नियुक्ति के कारण :

6. मतदान मशीन –

(i)- उपयोग में लायी गयी नियंत्रण यूनिट की संख्या :

(ii)- उपयोग में लायी गयी नियंत्रण यूनिट की क्रम संख्या:

(iii)- उपयोग में लायी गयी मतदान यूनिट की संख्या :

(iv)- उपयोग में लायी गयी मतदान यूनिट की क्रम संख्या:

(v)- उपयोग में लायी गयी वी0वी0पैट की संख्या:

(vi)- उपयोग में लायी गयी वी0वी0पैट की क्रमसंख्या:

7. (i)- उपयोग में लायी गयी पेपर सीलों की संख्या :

(ii)- उपयोग में लायी गयी पेपर सीलों की क्रम संख्यां :

7. (अ) (i). प्रदान किए गए विशेष टैग की संख्या :

(ii)- प्रदान किए गए विशेष टैग की क्रम संख्या :

(iii)- उपयोग में लाये गये विशेष टैग की क्रम संख्या :

(iv)- उपयोग में लाये गये विशेष टैग की क्रम संख्यांक :

(v)- उपयोग में न लाये गये, वापस किये गये विशेष टैग की क्रम संख्यांक :

8. ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या जिन्होंने मतदान केन्द्र पर मतदान अभिकर्ता नियुक्त किये हैं:–

9. (i)- मतदान के प्रारम्भ में उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या :–

(ii)- अभिकर्ताओं की संख्या जो विलम्ब से आये हों :–

(iii)- मतदान के समाप्ति पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या :–

10. (i)- मतदान केन्द्र पर नियत मतदाताओं की कुल संख्या :–

(ii)- निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के अनुसार मत देने के लिये अनुज्ञात किये गये निर्वाचकों की संख्या :–

(iii)- ऐसे निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने वास्तव में मतदाताओं के रजिस्टर (प्रारूप 17 ए) के अनुसार मत दिया है :–

(iv)- मतदान मशीन के अनुसार रिकार्ड किये गये मतों की संख्या :–

(v)- मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मत न देने का विनश्चय किया हो, यदि कोई हो तोः–

प्रथम मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर

मतदाताओं के रजिस्टर के प्रभारी
मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर

11. निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने मत दिये–पुरुष .... महिला .... कुल ....

12. अभ्याक्षेपित (चैलेंज्ड) मत –

अनुज्ञात संख्या

अस्वीकृत संख्या

जब्त की गयी रकम

13. उन व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण–पत्र (ई.डी.सी.) प्रस्तुत करने पर मत दिये :

13 ए. विदेशी **(overseas)** मतदाता जिन्होंने वोट दिये हों :–

14. उन निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने साथियों की सहायता से मत दिये :

15. प्रॉक्सी द्वारा दिये गये मतों की संख्या ।

16. निविदत्त मतों की संख्या–

17. निर्वाचकों की संख्या –

(क) जिनसे उनकी उम्र के बारे में घोषणाएं प्राप्त की–

(ख) जिन्होंने ऐसी घोषणाएं करने से इन्कार किया –

18. क्या मतदान स्थगित करना आवश्यक था, यदि ऐसा था, तो ऐसे स्थगन के कारण :

19. डाले गये मतों की संख्या–

7 बजे पूर्वान्ह से 9 बजे पूर्वान्ह तक

9 बजे पूर्वान्ह से 11 बजे पूर्वान्ह तक

11 बजे पूर्वान्ह से 1 बजे अपरान्ह तक

1 बजे अपरान्ह से 3 बजे अपरान्ह तक

3 बजे अपरान्ह से 5 बजे अपरान्ह तक

5 बजे अपरान्ह से 6 बजे सायं तक

20. मतदान समाप्त होने के समय पर दी गयी पर्चियों की संख्या :

21. ब्यौरों सहित निर्वाचन अपराध :

मामलों की संख्या –

(क) मतदान केन्द्र से एक सौ मीटर की दूरी के भीतर मत संयाचना :

(ख) मतदाताओं द्वारा प्रतिरुपण करना :

(ग) मतदान केन्द्र पर किसी सूचना की सूची को या अन्य दस्तावेज को कपटपूर्वक बिगाड़ना, नष्ट करना या हटाना :

(घ) मतदाताओं को रिश्वत देना :

(ड़) मतदाताओं और अन्य व्यक्तियों को भयभीत करना :

(च) मतदान केन्द्र पर कब्जा करना :

22. क्या निम्नलिखित कारणों से मतदान में विघ्न या बाधा उपस्थित हुई :

(1) बलवा :

(2) खुली हिंसा :

(3) प्राकृतिक विपत्ति :

(4) बूथ पर कब्जा :

(5) मतदान मशीन का विफल होना :

(6) अन्य कोई कारण :

कृपया उपर्युक्त के बारे में ब्यौरा दें।

23. क्या मतदान केन्द्र पर उपयोग में लायी गयी किसी भी मतदान मशीन को–

(क) पीठासीन अधिकारी की अभिरक्षा में से अवैधानिक रुप से छीनकर:

(ख) आकस्मिक या जानबूझकर गुम या नष्ट करके:

(ग) नुकसान पहुंचाकर या छेड़छाड़ करके मतदान को दूषित किया गया।

कृपया ब्यौरा दें।

24. अभ्यर्थियों/अभिकर्ताओं द्वारा की गयी गम्भीर शिकायतें, यदि कोई हो :

25. विधि तथा व्यवस्था को भंग करने संबंधी मामलों की संख्या :

26. मतदान केन्द्र पर की गयी त्रुटियों और अनियमितताओं की रिपोर्ट, यदि कोई हो :

27. क्या आपने मतदान के प्रारंभ के पूर्व, और यदि आवश्यक हो, मतदान के बीच जब किसी नयी मतदान मशीन का उपयोग किया गया हो तो उसके उपयोग में लाने के पूर्व तथा मतदान की समाप्ति पर जो आवश्यक हो, घोषणाएं कीं :

स्थान :. ....

तारीख : ....

पीठासीन अधिकारी

7–मत पत्र लेखा   प्रारुप 17ग

भाग 1–दर्ज किये गये मतों का लेखा–जोखा उदाहरण सहित

उ0प्र0 राज्य विधान सभा के लिए .... निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन.

मतदान केन्द्र संख्यांक और नाम :

मतदान केन्द्र में प्रयुक्त मतदान मशीन का पहचान सं0 –   कन्ट्रोल यूनिट :

:   बैलेट यूनिट :

वी0वी0पैट यूनिटः

1. मतदान केन्द्र को नियत निर्वाचकों की कुल संख्या : 1235
2. मतदाता रजिस्टर (प्रारुप 17क) में दर्ज मतदाताओं की कुल संख्या : 763
3. नियम 49ण के अधीन मतदान अभिलिखित न करने का विनिश्चिय करने वाले मतदाताओं की संख्या – 02
4. नियम 49ड के अधीन मतदान की अनुमति नही दी गयी 01
5. नियम 49एमए(घ) के अधीन दर्ज जांच मतों को घटाया जाना अपेक्षित
   (क) घटाये जाने वाले कुल जांच मतों की संख्या

कुल संख्या	प्रारुप 17(क) में निर्वाचकों की क्र0सं0
1	17

(ख) अभ्यर्थी जिनके लिए जांच मत डाले गये

क0सं0	अभ्यर्थी का नाम	मतों की संख्या
1	अ	1
2	ब	0
3	स	0
योग		1

6. मतदान मशीन के अनुसार अभिलिखित मतों की कुल संख्या : 760

7. क्या मद 6 के सामने यथादर्शित मतों की कुल संख्या मद 2 के सामने यथादर्शित मतदाताओं की कुल संख्या घटा–मद 3 के सामने दर्शित मत अभिलिखित न करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या घटा–मद 4 के सामने मतदाताओं की संख्या (2–3–4) से मेल करती है या इसमें कोई फर्क पाया गया है : हाँ मेल करती है

8. निविदत्त मतदाताओं की संख्या जिनको नियम 49त के अधीन निविदत्त मतपत्र जारी किए गए : 03

9. निविदत्त मतपत्रों की संख्या

	कुल	क्रम संख्या से	क्रम संख्या तक
(क) प्रयोग के लिए प्राप्त	20	00981	01000
(ख) निर्वाचकों को जारी किये गये –	03	00981	00983
(ग) प्रयुक्त न किए गए और वापस लिए गए –	17	00984	01000

10. पेपर सील का लेखा

1. उपयोग के लिए प्रदाय की गयी कागज की सीलें	कुल सं0 – 03 क0सं0. 009758 से 009760 तक
2. प्रयुक्त हुई कागज की सीलें	कुल सं0 – 01 क0सं0 .009758 से – .009758 तक
3. रिटर्निंग आफीसर को वापस की गई अप्रयुक्त कागज की सीलें	कुल सं0. 02 क0सं0. 009759 से 009760 तक
4. नष्ट हुई कागज की सीलें, यदि कोई हो :	कुल सं0. **NIL** क0सं0. – से – तक

तारीख :

स्थान –

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

मतदान केन्द्र सं0.:

मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर

1–

2–

3–

4–

8—पीठासीन अधिकारियों से ईवीएम तथा अन्य अभिलेख जमा करते समय संकलित की जाने वाली 19 कालम की अतिरिक्त सूचनायें :—

जिले का नाम :

विधान सभा क्षेत्र की संख्या व नाम :— ....

मतदेय स्थल की संख्या व नाम :— ....

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

क्र.सं.	मद		
1	मतदेय स्थल में कुल मतदाताओं की संख्या	पुरूष	
		महिला	
		अन्य	
		योग	
2	व्यक्तियों की संख्या, जिन्होंने मतदान किया	पुरूष	
		महिला	
		अन्य	
		योग	
3	निविदत्त (टेण्डर्ड) मतों की संख्या		
4	चैलेन्ज मतों की संख्या		
5	सर्विस मतदाताओं द्वारा प्रॉक्सी मतों की संख्या		
6	उन मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मतदाता फोटो पहचान पत्र के आधार पर मतदान किया		

7	उन मतदाताओं की संख्या जिन्होंने आयोग द्वारा उपलब्ध करायी गयी फोटो मतदाता पर्ची के आधार पर मतदान किया	वर्तमान में प्रचलन में नही है।	
8	उन मतदाताओं की संख्या जिन्होंने अन्य वैकल्पिक अभिलेखों के आधार पर मतदान किया		
9	उन मतदाताओं की संख्या जिन्होंने नियम 49 ओ में दिये गये अधिकार का प्रयोग किया		
10	मतदेय स्थल पर पोलिंग एजेन्ट्स की संख्या		
11	पोलिंग स्टेशन की संख्या जिन पर कोई पोलिंग एजेन्ट उपस्थित नहीं था अथवा एक पोलिंग एजेन्ट उपस्थित था।		
12	अनिवासी (ओवरसीज) मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मतदान किया।		
13	प्रयुक्त की गयी ईवीएम की संख्या		
14	क्या किसी ईवीएम को बदला या परिवर्तित किया गया।		
15	यदि हाँ तो बदलने का समय और उसका विवरण		
16	अनुपस्थित, शिफटेड तथा डुप्लीकेट (एएसडी) मतदाताओं की कुल संख्या		
17	अनुपस्थित, शिफटेड तथा डुप्लीकेट (एएसडी) मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मतदान किया		
18	किसी कारण से हिंसा की घटना या मतदान में बाधा।		
19	मतदेय स्थल के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतें।		

9–पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्वाचन क्षेत्र के पर्यवेक्षकों/रिटर्निंग अधिकारी को सौपंने के लिये 16 बिन्दु का प्रपत्र

मतदान केन्द्र क्रमांक	सी.पी.एफ. की नियुक्ति हां/नहीं	माइक्रो पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हॉ/नहीं	वीडियो कैमरा व्यवस्था	कुल मतदाता	कुल मत डालेगा	मतों का प्रतिशत	कुल उम्मीदवार की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8

अभिकर्ताओं द्वारा प्रतिनिधि उम्मीदवार की संख्या	मतदाता जिन्होंने ईपीआईसी के अलावा अन्य दस्तावेजों द्वारा मतदान किया गया	नकली मतदान अभिकर्ताओं के सामने किया गया हां/नहीं	नकली मतदान किया हां/नहीं	क्या मशीन को उपयुक्त प्रकार से बंद एवं मुहरबंद किया गया ?	क्या 17'ग मत अभिकर्ताओं को उनके दस्तखत लेने के बाद दिया गया ?	ऐसे मतदाताओं की संख्या जिन्होंने 5 बजे के बाद मतदान जिन्होंने टोकन प्राप्त कर मतदान किया	क्या मतदान के समय कोई अप्रत्याशित घटना हुई ? हां/नहीं
9	10	11	12	13	14	15	16

10-VOTER TURN OUT REPORT FOR POLLING STATION (Ps05)

<table>
<tr><td>PS05</td><td></td><td>IMPORTANT</td></tr>
<tr><td colspan="2">VOTER TURN OUT REPORT FOR POLLING STATION
(As per Item 5 of form 16/17 C*)</td><td>NOTTOBE
SENTTOTHE
COMMISSION</td></tr>
<tr><td>(A) Palamentry
Constouney
No. & Name</td><td>(C)State/ UT
Code &
Name</td><td></td></tr>
<tr><td>(B)Assembly
Segment
No. & Name</td><td>(D) Polling Station No. & Name
Station
No. & Name</td><td></td></tr>
<tr><td>1. Date of the Poll:</td><td colspan="2">1. No. of Ballot Boxes/EVMs(Control units)* used:</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">1. Voter turnout, that is, Ballot/EVM* as per Item 5 Form 16/17C*, Conduct of Election Rules, 1961</td><td>Male</td></tr>
<tr><td>Female</td></tr>
<tr><td>Total</td></tr>
<tr><td colspan="2">1. No. of Tendered ballot Pappers</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">For States/UTs where use of EPICs is mandatory</td></tr>
<tr><td colspan="2">1. Number of Voters who were identified with the help of Election Photo Identity Cards (EPICs)</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">1. Number of Voters who were identified using other Identification Documents.</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">I authentical the data given above and certify that copies of filled form 16/17* have been handed over to polling Agents after close of poll.
Presiding officers Signature</td></tr>
</table>

11–पीठासीन अधिकारी के व्दारा समय–समय पर की जाने वाली घोषणाएं:–

1– पीठासीन अधिकारी को मतदान दिवस पर 04 प्रकार की घोषणाएं करनी होती है।

2– मा0 आयोग व्दारा उपबंध–7 में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार घोषणा प्रपत्र को भाग–1, भाग–2, भाग–3 व भाग–4 में विभक्त करते हुए पीठासीन अधिकारी से निर्धारित समय पर घोषणा प्रपत्र भरने, उसे पढ़कर सुनाने एवं उसपर मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर/अँगूठा निशान प्राप्त करने तथा स्वयं घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किये जाना अपेक्षित होता है।

घोषणा भाग–1(मतदान शुरू करने के पूर्व)

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ :–

1– कि मैंने मतदान अभिकर्ताओं और अन्य उपस्थित व्यक्तियों को,–

क– मॉकपोल/नकली मतदान आयोजित करके यह प्रदर्शित कर दिया गया है कि मतदान मशीन पूर्णतया चालू हालत में है और उसमें पहले से कोई मत रिकार्ड नहीं किया गया है।

ख– यह प्रदर्शित कर दिया गया है कि मतदान के दौरान प्रयोग में ली जाने वाली निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में डाक मतपत्र और निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण–पत्र जिसे क्रमशः पी0बी0 और ई0डी0सी0, एस0वी0 शब्दों के प्रयोग करके मतदाता सूची में लिखा जाता है के अतिरिक्त कोई अन्य चिन्ह नहीं है।

ग– यह प्रदर्शित कर दिया गया है कि मतदाता रजिस्टर 17क में किसी भी निर्वाचक के संबंध में कोई प्रविष्टि दर्ज नहीं है अर्थात रजिस्टर खाली है।

2– मतदान मशीन के नियंत्रण यूनिट के परिणाम अनुभाग की सुरक्षा के लिए प्रयुक्त ग्रीन पेपर सील पर अपने हस्ताक्षर कर दिये है और उस समय उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर इसपर प्राप्त कर लिये है जो इसके इच्छुक है।

3– यह कि मैंने स्पेशल टैग पर नियंत्रण यूनिट का क्रमसंख्या लिख दी है और मैंने स्पेशल टैंग के पीछे की तरफ अपने हस्ताक्षर कर दिये है और मतदान अभिकर्ताओं का हस्ताक्षर भी प्राप्त कर लिये है जो उपस्थित और हस्ताक्षर करने के इच्छुक है।

4– मैंने स्ट्रीप सील पर अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं तथा उसपर ऐसे परिस्थित अभ्यर्थियों जो हस्ताक्षर करने के इच्छुक है, के हस्ताक्षर प्राप्त कर लिये है।

5– यह कि मैंने स्पेशल टैंग पर पूर्व से छपा क्रमसंख्या पढ़ दी है तथा उपस्थित एजेण्टों से क्रमसंख्या नोट करने के लिए कह दिया है।

हस्ताक्षर.................

पीठासीन अधिकारी

मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षरः

1.....

2....

निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं ने इस घोषणा पर अपने हस्ताक्षर करने से इंकार कियाः

1.......

2......

तारीख...... हस्ताक्षर.........

समय........... पीठासीन अधिकारी

ध्यान दें–

भाग–1 मतदान शुरू होने से पूर्व की घोषणा है अतः तारीख मतदान की तारीख तथा समय मतदान शुरू होने के पूर्व का ही होना चाहिए।

घोषणा भाग–2

पीठासीन अधिकारी द्वारा पश्चात्वर्ती मतदान मशीन के उपयोग, यदि कोई हो, के समय घोषणा. संसदीय/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन.........................

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ :–

1– कि मैंने मतदान अभिकर्ताओं और अन्य उपस्थित व्यक्तियों को प्रदर्शित कर दिया गया है कि,–

क– मॉकपोल/नकली मतदान आयोजित करके यह प्रदर्शित कर दिया गया है कि मतदान मशीन पूर्णतया चालू हालत में है और उसमें पहले से कोई मत रिकार्ड नहीं किया गया है।

ख– यह प्रदर्शित कर दिया गया है कि मतदान के दौरान प्रयोग में ली जाने वाली निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में डाक मतपत्र और निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण–पत्र जिसे क्रमशः पी0बी0 और ई0डी0सी0, एस0वी0 शब्दों के प्रयोग करके मतदाता सूची में लिखा जाता है के अतिरिक्त कोई अन्य चिन्ह नहीं है।

ग– यह प्रदर्शित कर दिया गया है कि मतदाता रजिस्टर 17क में किसी भी निर्वाचक के संबंध में कोई प्रविष्टि दर्ज नहीं है अर्थात रजिस्टर खाली है।

2– मतदान मशीन के नियंत्रण यूनिट के परिणाम अनुभाग की सुरक्षा के लिए प्रयुक्त ग्रीन पेपर सील पर अपने हस्ताक्षर कर दिये है और उस समय उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर इसपर प्राप्त कर लिये है जो इसके इच्छुक है।

3– यह कि मैंने स्पेशल टैग पर नियंत्रण यूनिट का कमसंख्या लिख दी है और मैंने स्पेशल टैंग के पीछे की तरफ अपने हस्ताक्षर कर दिये है और मतदान अभिकर्ताओं का हस्ताक्षर भी प्राप्त कर लिये है जो उपस्थित और हस्ताक्षर करने के इच्छुक है।

4– मैंने स्ट्रीप सील पर अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं तथा उसपर ऐसे उपस्थित अभ्यर्थियों जो हस्ताक्षर करने के इच्छुक है, के हस्ताक्षर प्राप्त कर लिये है।

5– यह कि मैंने स्पेशल टैंग पर पूर्व से छपा कमसंख्या पढ़ दी है तथा उपस्थित एजेण्टों से कमसंख्या नोट करने के लिए कह दिया है।

हस्ताक्षर..................
पीठासीन अधिकारी

मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षरः

1.....

2....

निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं ने इस घोषणा पर अपने हस्ताक्षर करने से इंकार कियाः

1.......

2......

तारीख...... हस्ताक्षर..........

समय........... पीठासीन अधिकारी

भाग–3 मतदान के अंत में घोषणाः–

मैंने उन मतदान अभिकर्ताओं को, जो मतदान बंद होने के समय मतदान केन्द्र पर उपस्थित थे और जिन्होंने नीचे हस्ताक्षर किये है, निर्वाचकों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49 ध 2 के अधीन यथा–अपेक्षित प्रारूप 17 ग के भाग–1 रिकार्ड किये गये मतों का लेखा में प्रत्येक प्रविष्टि की एक–एक अनुप्रमाणित प्रति दे दी है।

हस्ताक्षर...............

तारीख.........................

पीठासीन अधिकारी

समय......................

रिकार्ड किये गये मतों के लेखों प्रारूप–17ग का भाग–1 में की गयी प्रविष्टियों की एक अनुप्रमाणित प्रति प्राप्त की।

मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षरः

1............अभ्यर्थी......... का मतदान अभिकर्ता

2........... अभ्यर्थी......... का मतदान अभिकर्ता

निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं ने, जो मतदान बंद होने के समय उपस्थित थे, प्रारूप 17ग के भाग–1की एक अनुप्रमाणित प्रति प्राप्त करने और उसकी रसीद देने से इंकार कर दिया है। अतः उन्हें उक्त प्रारूप की एक अनुप्रमाणित प्रति नहीं दी गई।

1............अभ्यर्थी......... का मतदान अभिकर्ता

2........... अभ्यर्थी......... का मतदान अभिकर्ता

तारीख.........

हस्ताक्षर.............

समय............

पीठासीन अधिकारी

नोटः– समय मतदान समाप्त होने के बाद का ही होना चाहिए।

भाग–4

मतदान मशीन को मुहरबंद करने के पश्चात् घोषणा

मतदान मशीन की नियंत्रण यूनिट और मतदान यूनिट के कैरिंग केसों पर मैंने मेरी मुद्रा लगा दी है, और उन मतदान अभिकर्ताओं को, जो मतदान के अंत में मतदान केन्द्र पर उपस्थित थे, उनकी मुद्रा लगाने की अनुज्ञा दे दी है।

तारीख....... हस्ताक्षर.........

समय......... पीठासीन अधिकारी

निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं ने अपनी मुद्रा लगा दी है।

1............अभ्यर्थी......... का मतदान अभिकर्ता

2........... अभ्यर्थी......... का मतदान अभिकर्ता

निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं ने मुद्रा लगाने से इंकार कर दियाया मुद्रा लगानी नहीं चाही:

1............अभ्यर्थी......... का मतदान अभिकर्ता

2........... अभ्यर्थी......... का मतदान अभिकर्ता

तारीख....... हस्ताक्षर.........

समय......... पीठासीन अधिकारी

12—मतदान के दिन मतदान केन्द्र पर भ्रमण करने वाले अधिकारियों भ्रमण संबंधी विवरण अंकित किया जाता है।

भ्रमण शीट का प्रारूप

मतदान की तिथि..............................

विधानसभा/मतदान केन्द्र का नाम एवं संख्या

निर्वाचकों की संख्या.................

क्रम सं0	भ्रमण करने वाले अधिकारी का नाम/पदनाम (प्रेक्षक/जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग आफीसर/सहायक रिटर्निंग आफीसर/सैक्टर मजिस्ट्रेट/जोनल मजिस्ट्रेट	भ्रमण का समय	मतदान प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण (शांतिपूर्ण, घटनायें यदि कोई हो)	भ्रमण के समय तक डाले गये मतों की संख्या		टिप्पणी	अधिकारी के हस्ताक्षर
				फार्म 17—ए के अनुसार	ई0वी0ए मके अनुसार		

8वॉ चरण– मतदान समाप्ति के उपरान्त कलेक्शन सेण्टर पर वापस आकर सामग्री जमा करना–:

भाग–1

1 सील्ड बी0यू0, सी0यू0 एवं वी0वी0पैट एवं मॉकपोल पर्ची सील्ड बाक्स के साथ निम्न सामग्री बिना सील्ड किये हुये काउण्टर पर जमा करनी होती है :–

2– मतपत्र लेखा–17 ग एवं इसी प्रारूप पर निर्धारित बिन्दु में ग्रीन पेपर सील का लेखा दो प्रतियों में।

3– पीठासीन अधिकारी की घोषणा।

4– पीठासीन अधिकारी की स्वच्छ, स्पष्ट रूप से भरी हुई डायरी।

5– पी0एस0–05 पर कुल टर्न आउट मतदाताओं की संख्या।

6– 19 बिन्दुओं की रिपोर्ट।

7– 16 बिन्दुओं पर पर्यवेक्षक रिपोर्ट।

8– विजिट सीट(आगन्तुक भ्रमण पंजिका)।

9– मॉकपोल प्रमाण पत्र भाग–1, बैटरी बदलने का भाग–2 और क्लोज बटन दबाने का भाग–3 प्रपत्र

10– दृष्टिबाधित मतदाताओं के मतदान के संबंध में सूचना।

11– मतदाता रजिस्टर 17–क लिफाफा में।

भाग–2 निर्वाचन प्रपत्रों एवं सामग्रियों को सीव्ड करते हुए 04 निर्धारित लिफाफों में रखना:–

सांविधिक लिफाफा हरे रंग के पैकेट में निम्नलिखित मुहरबंद पांच लिफाफा रखें

1– निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति का लिफाफा।

2– प्रयुक्त मतदाता पर्ची का लिफाफा।

3– अप्रयुक्त टेण्डर वोट का लिफाफा।

4– प्रयुक्त टेण्डर वोट एवं प्रारुप 17–ख की सूची का लिफाफा।

नोट :– 1 से लेकर 4 तक के सभी लिफाफे मुहरबन्द होंगे और उसपर सांविधिक शब्द लिखा जायेगा।

असांविधिक लिखे दूसरे बड़े पीले रंग के पैकेट में निम्नलिखित लिफाफे रखे जायेंगे :–

1– निर्वाचक नामावली की अन्य प्रतियों का लिफाफा,

2– प्रारुप 10 में मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्र से सम्बन्धित लिफाफा

3– प्रारुप 12 ख में निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र का लिफाफा,

4– प्रारुप 14 में चैलेन्ज किये गये मतों की सूची का लिफाफा,

5– प्रारुप 14क में अंधे व शिथिलांग निर्वाचकों की सूची और उनके साथियों की घोषणाओं का लिफाफा,

6– निर्वाचकों की आयु के सम्बन्ध में घोषणाऐं एवं उसकी सूची का लिफाफा,

7– चैलेन्ज किये गये मतों के सम्बन्ध में प्राप्ति रसीद और नकद लिफाफा,

8– अप्रयुक्त और क्षतिग्रस्त ग्रीन पेपर सील का लिफाफा,

9– अप्रयुक्त मतदाता पर्चियों का लिफाफा,

10– अप्रयुक्त और क्षतिग्रस्त स्पेशल टैग का लिफाफा,

तीसरे बड़े भूरे रंग के पैकेट में निम्नलिखित सामग्री रखी जायेगी :–

1– पीठासीन अधिकारी की निर्देश पुस्तिका,

2– इलेक्ट्रानिक्ट वोटिंग मशीन की पुस्तिका,

3– अमिट स्याही,

4– स्टाम्प पैड,

5– पीठासीन अधिकारी की धातु की मुहर (ब्रास सील),

6– टेण्डर वोट को चिन्हित करने के लिए एरोक्रास रबर सील,

7– अमिट स्याही रखने के लिए कप।

चतुर्थ पैकेट नीला कलर

1– चौथे नीले रंग के बड़े पैकेट में वोटिंग कम्पार्टमेण्ट एवं अन्य सामग्री।

2– वीवीपैट की बैटरी निर्धारित काउण्टर पर जमा की जाए।

<u>नोट</u> :– यदि किसी लिफाफ में कोई सामग्री न रखी जानी हो तो ऐसे लिफाफे में एक सादे कागज पर **“NIL”** लिखकर लिफाफे में डाल दें, साथ ही यह ध्यान दें कि प्रत्येक प्रारूप में निर्धारित कालमों में जो सूचनाएं भरनी अपेक्षित हो उसे अनिवार्य रूप से भरे।

9वॉ चरण–निर्धारित काउण्टर पर निर्वाचन सामग्रियों को जमा करना

1– मतदान मशीन एंव उपरोक्त लिफाफों को यथा निर्देश काउण्टर पर जमा करने एवं सेक्टर मजि0 की अनुमति के उपरान्त ही स्थल को छोड़ेगे।

2– पीठासीन अधिकारी अपना अवमुक्ति प्रमाण–पत्र सेक्टर मजिस्ट्रेट से प्राप्त करेंगे।

3– मतदान अधिकारियों को अमुक्ति प्रमाण–पत्र पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर से निर्गत करें।

कोविड–19 के संबंध में दिशा–निर्देश

पोलिंग पार्टियों को कोविड के बचाव के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली सामग्री–

क्र0 सं0	सामग्री का नाम	प्रत्येक मतदान कार्मिक हेतु मात्रा
1	हैण्ड सैनेटाइजर (100 मि0ली0)	01 यूनिट
2	थ्री प्लाई मास्क (02 दिन के कार्य हेतु) 3 मास्क प्रतिदिन	06 यूनिट
3	फेस शील्ड	01 यूनिट
4	हैण्ड ग्लब्स (रबड़ का) प्रतिदिन 01 जोड़ा (02 दिन के कार्य हेतु)	02 जोड़ा
5	प्रयोग की गई सामग्रियों के डिस्पोजल हेतु	पर्याप्त मात्रा में लाल रंग की पन्नी
6	पी0पी0ई0 किट्स प्रत्येक सेक्टर मजिस्ट्रेट हेतु	02 यूनिट

मतदाताओं के लिए

क्र0 सं0	सामग्री का नाम	सामग्री की मात्रा
1	एकल प्रयोग हैण्ड ग्लब्स (प्रत्येक मतदाता को एक)	(प्रत्येक मतदाता को एक)
2	हैण्ड सैनेटाइजर प्रति पोलिंग स्टेशन	05 लीटर
3	फेस मास्क	पोलिंग स्टेशन पर कुल मतदाताओं का 10 प्रतिशत
4	साबुन (लिक्विड) 250 मिली	प्रति पोलिंग स्टेशन
5	थर्मल स्कैनर	प्रति पोलिंग स्टेशन 01

कोविड–19 के संबंध में मा0 आयोग द्वारा जारी निर्देशों का बिन्दुवार विवरण:–

1– मतदान कार्य में लगे समस्त कार्मिकों का डबल डोज टीकाकरण अनिवार्य है।

2– यदि किसी पीठासीन/मतदान कार्मिक/प्रशिक्षण देने वाले कार्मिक को प्रथम या द्वितीय डोज नहीं लगा हो, तो वह प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद प्रशिक्षण स्थल पर बनाये गये कोविड–वैक्सिनेशन सेन्टर में उपस्थित होकर टीका लगवा लें।

3– प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले सभी कार्मिकों को मास्क पहनना अनिवार्य है।

4– सोशल डिस्टैन्सिंग का पालन अनिवार्य रूप से करना है।

पोलिंग पार्टी की रवागनी स्थल(डिस्पैच सेन्टर)

1– पोलिंग पार्टियों के रवानगी स्थल को सैनीटाइज किया जाएगा।

2– रवागनी स्थल पर थर्मल स्कैनर/इन्फ्रारेड थर्मामीटर की व्यवस्था रहेंगी। मतदान कार्मिक थर्मल स्कैनिंग कराकर ही गेट के अंदर प्रवेश करें।

3– सभी मतदान कार्मिक अपना मास्क पहनकर ही रवागनी स्थल कलेक्ट्रेट सरपतहा में प्रवेश करेंगे।

4– मतदान कार्मिकों के लिए डिस्पैच सेन्टर/स्थल पर हैण्ड सैनीटाइजर, मास्क, फेस शील्ड, हैण्ड ग्लव्स, साबुन, पानी की व्यवस्था रहेंगी।

5– सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सामग्री का वितरण निर्धारित काउण्टर से होगा।

6– प्रत्येक काउण्टर के सामने 02–02 मीटर की दूरी का गोला बनाया जाएगा, जिसमें पंक्तिबद्ध पीठासीन अधिकारी अपने बारी का इंतजार में बैठे रहेंगे और नंबर आने पर सामग्री प्राप्त करेंगे।

7– काउण्टर पर हैण्ड सैनीटाइजर की व्यवस्था होगी।

8– मतदान कार्मिक/सुरक्षा कार्मिकों को मतदान स्थल तक ले जाने में प्रयोग होने वाले प्रत्येक वाहन का सैनीटाइजेशन कराया जाएगा।

9– हर स्तर पर बनाये गये पण्डालों में भी कोविड के मानको का अनुपालन किया जाएगा।

मतदान दिवस पर की जाने वाली कार्यवाहीः—

1— मतदान दिवस के 01 दिन पूर्व सभी मतदेय स्थलों का सैनीटाइजेशन कराया जाएगा।

2— मतदेय स्थल पर कोविड हेल्प डेस्क की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

3— हर पोलिंग स्टेशन पर एक प्रतिक्षालय की व्यवस्था करनी होगी,जहां पर दरी एवं कुर्सी की व्यवस्था रहेगी जहां पर मतदाता अपनी बारी का इंतजार कर सके।

4— मतदेय स्थल/बूथ पर मतदान दल के अधिकारियों एवं पोलिंग एजेण्ट के बैठने की व्यवस्था सामाजिक दूरी के नियमों को ध्यान में रखकर की जाए।

5— सोशल डिस्टेन्सिंग के अनुपालन हेतु मतदाताओं को पॅक्ति में खड़े होने लिए 6 फीट यानी 02 गज की दूरी पर पूर्व से ही गोले निर्धारित किये जाएंगे।

6— प्रवेश एवं निकास द्वार पर साबुन, पानी एवं हैण्ड सैनीटाइजर की व्यवस्था सनिश्चित की जाएगी।

7— प्रत्येक मतदेय स्थल पर थर्मल स्कैनिंग/फीवर स्क्रीनिंग के कार्य हेतु पैरा मेडिकल स्टाफ यथा—ए0एन0एम0,आशा/पैरा—मेडिकल स्टाफ की तैनाती रहेगी।

8— जो भी मतदाता या मा0 आयोग द्वारा निर्दिष्ट अधि0/कर्म0/पदाधिकारी बूथ के अंदर प्रवेश करने हेतु अधिकृत है, उसका थर्मल स्कैनिंग होगा उसके बाद ही बूथ के अंदर जाएंगे।

9— मतदाताओं को मतदाता रजिस्टर में हस्ताक्षर एवं ईवीएम के बैलेट यूनिट में उम्मीदवार का बटन दबाने के लिए हैण्ड ग्लब्स मतदान केन्द्र के प्रवेश द्वार पर ही उपलब्ध कराया जायेगा। मतदान करने के बाद मतदान कक्ष के बाहर रखे डस्टबीन में ग्लब्स डाला जायेगा।

10— मास्क लगाकर ही मतदाता एवं अधिकृत अधि0/कर्म0/पदाधिकारी बूथ के अंदर प्रवेश करेंगे। यदि मतदाता बिना मास्क के है तो उसे मास्क मौके पर उपलब्ध कराया जायेगा।

11— मतदाता की पहचान के लिए यदि प्रथम मतदान अधिकारी को मतदाता का मास्क हटवाने की आवश्यकता पड़े तो मास्क मुह के नीच कराने के बाद पुनः उसे मास्क मुह पर लगाने हेतु कह दिया जाए।

12– थर्मल स्कैनिंग में यदि किसी मतदाता का तापमान निर्धारित मानक 100.4 फारेनहाइट से अधिक पाया जाता है तो निम्न कार्यवाही की जाएगी:–

1– मतदाता को टोकन निर्गत किया जाएगा।

2– मतदाता सूची (एल्फाबेटिक लोकेटर) में मतदाता का क्रमांक चिन्हित किया जाएगा।

3– ऐसे मतदाता को मतदान के अंतिम घण्टों में आने के लिए कहा जायेगा।

4– पीठासीन अधिकारी द्वारा तत्काल सेक्टर मजि0 को सूचित करते हुए पी0पी0ई0 किट्स की मॉग की जाएंगी। सेक्टर मजि0 उक्त किट्स पीठासीन अधिकारी को बूथ पर आकर उपलब्ध करायेगा।

5– पीठासीन अधिकारी के द्वारा पी0पी0ई0 किट्स पहनकर मतदाता का वोट डलवाया जाएगा।

13– यदि पोलिंग एजेण्ट का तापमान निर्धारित मानक से अधिक हो तो उसके रिलिवर को उसके स्थान पर अनुमति प्रदान की जाए।

14– कोविड पॉजिटिव निर्वाचक, जो क्वारण्टाइन में रखे गये है, स्वास्थ्य कर्मियों के देख–रेख में कोविड–19 से संबंधित निरोधात्मक उपायों का अनुपालन करते हुए संबंधित सेक्टर मजिस्ट्रेट ऐसे निर्वाचकों की व्यवस्था में आवश्यक समन्वय करेंगे। अपने मतदान केन्द्र पर अंतिम घंटे में मतदान करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सेक्टर मजि0 संबंधित बूथ पर पी0पी0ई0किट्स उपलब्ध करायेंगे। पीठासीन अधिकारी इसे पहनकर मतदान की कार्यवाही पूर्ण करेंगे।

15– अपशिष्ट सामग्री को एकत्रित करने हेतु रेड पालीथीन में सामग्री रखकर बाहर रखें डस्टबीन में डाल दिया जायेगा।

16– मतदान दिवस को प्रत्येक सी0एच0सी0/पीएचसी पर कम से कम एक कक्ष रिजर्व रखा जाएगा। किसी प्रकार की अपरिहार्य स्थिति उत्पन्न होने पर कार्मिक/ मतदाता को चिकित्सीय व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएंगी।

मतदान समाप्त होने के बाद मतदान सामग्रियों के जमा करने हेतु निर्धारित स्थल(कलेक्शन सेन्टर)

1— कलेक्शन सेन्टर के 02 काउण्टर के मध्य पर्याप्त दूरी रखी जाएंगी। एक काउण्टर पर उतनी ही पोलिंग पार्टियों की सामग्री/अभिलेख लेने की व्यवस्था रखी जायेगी, जिससे काउण्टर पर अनावश्यक भीड़ न हो।

2— प्रत्येक काउण्टर के सामने दो—दो गज की दूरी पर गोला बना होगा, जिसमें पंक्तिबद्व पीठासीन अधिकारी अपनी बारी के इंतजार में बैठे रहेंगे।

3— प्रत्येक काउण्टर पर हैण्ड सैनीटाइजर, ग्लब्स, मास्क, फेस शील्ड उपलब्ध रहेगा।

4— मतदान कार्मिक सामग्री जमा करते समय अनिवार्य रूप से मास्क लगाये रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करें।

मतदान कार्मिकों के लिए मत देने की व्यवस्था

डाक मतपत्र

1– ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जो इस जनपद की मतदाता सूची में पंजीकृत और निर्वाचन ड्यूटी में लगे हुए है, उनके लिए डाक मतपत्र से मत दिये जाने की व्यवस्था पोलिंग पार्टियों के द्वितीय प्रशिक्षण के समय प्रशिक्षण केन्द्र पर बनाये गये फैसिलेटर सेन्टर पर विधानसभावार सुनिश्चित की गयी है। उन्हें पोस्टल बैलेट की मांग हेतु प्रारूप 12 ड्यूटी पत्र के साथ भेजा जायेगा। वे द्वितीय प्रशिक्षण के समय अपने साथ प्रारूप 12 ठीक प्रकार से भरकर अपने साथ ड्यूटी पत्र की छायाप्रति एवं पहचान हेतु ईपिक या मा0 आयोग द्वारा निर्धारित 11 विकल्प में से कोई एक विकल्प लेकर उपस्थित होंगे। फैसिलेटर सेन्टर पर प्रारूप 13ए के प्रमाणीकरण हेतु अधिकारी नियुक्त रहेंगे उनसे प्रमाणीकरण करा सकते है।

2– ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जो अन्य जनपदों के मतदाता है वे समय से प्रारूप 12 पर पोस्टर बैलेट की मॉग संबंधित जनपद के आर0ओ0 से करें।

धन्यवाद

आर्यका अखौरी

जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी,

भदोही।